पत्रांक– 13/स्था0 05–09/2026 492/

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

विजय कुमार, (भा0प्र0से0)
निदेशक, जन शिक्षा–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

शिवनाथ प्रसाद,
उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 02/06/2026

विषय : **जन शिक्षा निदेशालय से संबंधित सभी Act, Rules, Regulations, Byelaws, Circulars/Govt. Orders को Centralised Digital Responsitory पर अपलोड कराने के संबंध में।**

509
03/6/26

प्रसंग : आपका पत्रांक 9/बि0वि0प0स0–16–07/2026 828 दिनांक 01.06.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में जन शिक्षा निदेशालय से संबंधित सभी Act, Rules, Regulations, Byelaws, Circulars/Govt. Orders की प्रति (हार्ड एण्ड सॉफ्ट कॉपी) में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्मित Centralised Digital Responsitory पर अपलोड करने हेतु भेजी जा रही है।

848
3-06-26

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
Vijay 2/6/2026
(विजय कुमार)
निदेशक, जन शिक्षा–सह–अपर सचिव।

जन शिक्षा निदेशालय से संबंधित नियमावली के नियम/अनुदेश/मार्गदर्शन इत्यादि।

1. महादलित, दलित एवं अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के कार्यान्वयन संबंधी दिशा–निर्देश संबंधी विभागीय पत्रांक 926 दिनांक 03.05.2013

2. महादलित, दलित एवं अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के अंतर्गत शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के चयन एवं सेवाशर्त्त से संबंधित मार्गदर्शिका, 2018

3. महादलित, दलित एवं अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के अंतर्गत मुख्य स्त्रोत व्यक्ति (Key Resource Person) के चयन एवं सेवाशर्त्त से संबंधित मार्गदर्शिका, 2020

4. शिक्षा सेवकों के अद्यतन मानदेय संबंधी संकल्प संख्या 1602 दिनांक 21.09.2023

5. शिक्षा सेवकों के छुट्टी अनुमान्य संबंधी आदेश संख्या 1390 दिनांक 08.09.2020 एवं आदेश संख्या 553 दिनांक 19.06.2025

6. शिक्षा सेवकों को स्मार्ट फोन एवं शिक्षण सामग्री क्रय से संबंधित संकल्प संख्या 964 दिनांक 04.10.2025

7. अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के छँटनीग्रस्त वेतनमान पर्यवेक्षकों एवं अन्य कर्मियों के समायोजन संबंधी विभागीय संकल्प संख्या 582 दिनांक 20.05.2005

8. अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के छँटनीग्रस्त मानदेय पर्यवेक्षकों के समायोजन संबंधी विभागीय संकल्प संख्या 27 दिनांक 12.01.2010

9. भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के समायोजन करने संबंधी विभागीय संकल्प संख्या 945 दिनांक 27.04.2017

10. साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रेरको एवं समन्वयकों के बकाये मानदेय प्रदान किये जाने संबंधी भारत सरकार के पत्रांक फ0स0 19–9/2018 –एन0एल0एम 3 दिनांक 17.09.2018

पत्रांक– 13/सा2–18/2012...926

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

अमरजीत सिन्हा
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता एवं माध्यमिक शिक्षा),
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान)।

पटना, दिनांक 03/05/2013

विषय : महादलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के कार्यान्वयन संबंधी दिशा निर्देश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्त्तमान में जन शिक्षा निदेशालय–सह–बिहार राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण से महादलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

महादलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के 20 हजार टोला सेवकों एवं 10 हजार शिक्षा स्वयंसेवियों के संबंध में पूर्व में निदेश दिया गया है कि जिन टोलों में स्वीकृत लक्ष्य के विरूद्ध टोला सेवकों एवं शिक्षा स्वयंसेवियों का चयन नहीं हो पाया है वहाँ पूर्व में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के द्वारा निर्गत नियमों के आधार पर चयन किया जाये।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में तालीमी मरकज 6–10 वर्ष के संबंद्ध बच्चों के लिये एक गैर आवासीय सेतु पाठ्यक्रम था, जिसमें बच्चों को किसी स्थान पर दो वर्ष तक पढ़ाकर कक्षा–2 की दक्षता पूर्ण करवाकर शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित करना था। वर्त्तमान योजना के अधीन सम्बद्ध सारे बच्चों को समीपवर्त्ती विद्यालय में नामांकित करवाना है एवं विद्यालय में उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करना है। साथ ही, शिक्षा स्वयंसेवियों को सम्बद्ध समुदाय की महिलाओं को साक्षरता एवं विकास की योजनाओं के प्रति जानकारी भी प्रदान करना है। तालीमी मरकज क्षेत्र के आवश्यकता के अनुरूप दो वर्षो के लिये संचालित किये जायेंगे एवं अन्यत्र आवश्यकता के अनुरूप इन केन्द्रों को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रावधान है। यदि दूरी अधिक होगी तो दूसरे स्थान के तालीमी मरकजों में पूर्व के शिक्षा स्वयंसेवी का स्थानांतरित नहीं किये जा सकेंगे। बल्कि स्थान विशेष को ध्यान में रखते हुये स्थानीय परिवेश से नियमानुसार टोला सेवक का चयन किया जायेगा।

उपर्युक्त के आलोक में राज्य में बचे हुये स्थानों पर टोला सेवकों एवं शिक्षा स्वयंसेवियों के चयन में निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है :–

1. जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संबंधित जन संख्या के अनुसार बचे हुये केन्द्रों का आनुपातिक वितरण किया जाये।

2. जिला स्तर पर चयन कार्य एवं सारे कार्यक्रम का प्रबोधन यद्यपि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता एवं माध्यमिक शिक्षा) द्वारा किया जायेगा परंतु सारे कार्यों में एवं संबंधित बैठकों में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान) की प्रतिभागिता आवश्यक होगी।

3. टोला/ग्राम स्तर पर गठित चयन समिति में संबंधित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक/संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक को observer के रूप में रखा जा सकता है।

4. तलीमी मरकज के शिक्षा स्वयंसेवियों में पुराने शिक्षा स्वयंसेवियों एवं महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

टोला सेवकों एवं शिक्षा स्वयंसेवियों के चयन के समय पूर्व के चयन के नियमों में उपरोक्त बिन्दुओं का समावेश कर लिया जाये।

विश्वासभाजन

(अमरजीत सिन्हा)
प्रधान सचिव।
25/4/13

E:\Anupam\Mahadalit, Alpshankhyak evam pichhara warg\Letter\P. Secretary Letter.doc

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना

टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयंसेवी के चयन एवं सेवाशर्त्त से संबंधित मार्गदर्शिका, 2018

जन शिक्षा निदेशालय

तृतीय मंजिल, कमरा सं0—351, विकास भवन, नया सचिवालय, बेली रोड, पटना।

निदेशक
जन शिक्षा ...

टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयंसेवी के चयन एवं सेवाशर्त्त से संबंधित मार्गदर्शिका, 2018

1. प्रस्तावना ।–

(i) मानव के संतुलित शारीरिक, बौद्धिक और आर्थिक विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा हमें हर प्रकार के बंधनों–गरीबी, बीमारी, कुरीतियों, शोषण, उत्पीड़न, भेद–भाव आदि से आजादी दिलाती है। अच्छी शिक्षा पाकर हम बंधनों से बाहर निकल कर अपने को सशक्त बनाते हैं और योग्य नागरिक के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं।

(ii) 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 63.82 % है और महिलाओं में 53.53 % मात्र। प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयास से नामांकन 99% तक पहुँच गया है, परन्तु आठवीं कक्षा तक पहुँचते–पहुँचते बड़ी संख्या में बच्चों का छीजन (Drop out) हो जाता है। **वर्ष 2009 में बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम** (Right to Free and Compulsory Education Act. 2009) लागू हुआ। इसी क्रम में शिक्षा विभाग द्वारा **अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011** बनायी गई। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षित करना हमारा दायित्व है। साक्षरता और शिक्षा में पिछड़ेपन के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय एवं वर्ग में शिक्षा और साक्षरता बिहार के लिए चुनौती है।

(iii) शिक्षा में कमी, जनसंख्या वृद्धि, बाल–विवाह, कुपोषण, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारणों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जिस घर में माता शिक्षित हैं वहाँ पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। वहाँ बच्चे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में बेहतर उपलब्धि प्राप्त करते हैं। इसलिए संबंधित समुदाय के विकास के लिए माताओं का कार्यात्मक रूप से साक्षर होना आवश्यक है।

(iv) हमारे समाज में बाल–विवाह, दहेज प्रथा, विभिन्न प्रकार के नशे का सेवन, महिलाओं के प्रति गैर–बराबरी का दृष्टिकोण एवं सामाजिक तथा आर्थिक आधार पर शोषण या भेद–भाव जैसी अनेक सामाजिक बुराइयाँ व्याप्त हैं। इन सब को दूर कर ही हम एक विकसित, सुशिक्षित, ज्ञानमूलक एवं समता–मूलक समाज बना सकते हैं।

(v) उपर्युक्त पृष्ठभूमि में बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना का आरंभ 2012–13 में किया गया। इस योजना से अपेक्षा है कि महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग में साक्षरता (विशेषकर महिला साक्षरता) में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और इस वर्ग एवं समुदाय के बच्चे गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने में सफल होंगे। यह योजना इन समुदायों एवं वर्गों की महिलाओं और बच्चों को साक्षर और शिक्षित करते हुए उन्हें मुख्यधारा में शामिल कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा करेगी। यह योजना महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक उत्थान एवं उत्प्रेरण का कार्यक्रम है।

2. **टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी का कार्य एवं दायित्व** :– महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग में साक्षरता, शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिये टोला सेवक एक सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में काम करेंगे। उनका प्रमुख कार्य इस समुदाय के लोगों को साक्षर होने और शिक्षित बनने के लिये प्रेरित करना, तथा उन्हें सरकार द्वारा चलाये जा रहे साक्षरता, शिक्षा एवं सामाजिक सुधार की योजनाओं से जोड़ना है। इनके कार्यों एवं दायित्वों को निम्नांकित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है:–

(क) (i) टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी निर्धारित टोले के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय से जोड़ेंगे। उनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत् या उससे अधिक बनाये रखने के लिये एवं छीजन कम करने के लिये काम करेंगे। इनकी भूमिका सुगमकर्त्ता (Facilitator) एवं प्रेरक (Motivator) की होगी।

(ii) टोले के बच्चों को जमा कर प्रारंभिक तैयारी कराकर प्रतिदिन एक साथ विद्यालय ले जायेंगे। विद्यालय प्रधान से सम्पर्क कर सबों के नामांकन एवं सीखने की व्यवस्था विद्यालय में करायेंगे। चेतना सभा में एवं आरंभ में दो घंटे विद्यालय में रहकर बच्चों को विद्यालय में दी जा रही शिक्षा के साथ जुड़ने में सहयोग करेंगे।

(iii) उपर्युक्त कार्य के लिये सर्वे द्वारा बच्चों की बाल पंजी एवं असाक्षर वयस्क महिलाओं/माताओं की पंजी तैयार करना, विद्यालय में नामांकन कराना, बच्चों को टोला से एक साथ विद्यालय पहुँचाना, कक्षा में बच्चे मुख्यधारा के साथ हों एवं सीखने के लिए तैयार हों इसके लिए कार्य करना, विद्यालय के पूर्व बच्चों के लिये कोचिंग कक्षा का संचालन करना, समय–समय पर बच्चों की काउन्सलिंग करना, विद्यालय के शिक्षकों एवं अभिभावकों से नियमित संपर्क रखना उनके कार्य में शामिल होगा।

(ख) (i) टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी अपने टोले के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय आरंभ होने से पहले विद्यालय के लिए तैयार करेंगे, कोच (coach) करेंगे। इसके साथ ही वे 15 से 35 आयु वर्ग की असाक्षर महिलाओं को दोपहर में एक घंटे तक पढ़ाने का एवं बाद में टोलों में सम्पर्क का कार्य भी करेंगे। विद्यालय संचालन के समय में परिवर्त्तन होने पर एवं ग्रीष्मावकाश व लम्बी छुट्टियों में पढ़ाने के समय में परिवर्त्तन आवश्यकतानुसार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता द्वारा किया जा सकेगा।

(ii) निर्धारित टोले के असाक्षर महिलाओं को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना एवं बच्चों के सीखने की उपलब्धि की जानकारी माताओं को देना इनका दायित्व होगा।

(ग) सरकार की विकास योजनाओं, समाज सुधार के कार्यक्रमों से टोले के लोगों को परिचित कराना एवं जागरूक करना इनका कार्य होगा। टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी अपने-अपने कार्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण, आपदा प्रबंधन आदि विभागों एवं लाभुकों के बीच कड़ी का काम करेंगे। गांव/टोला के प्रत्येक व्यक्ति को राज्य सरकार के स्तर से दी जानेवाली सुविधाओं की जानकारी देना तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधायें नियमानुसार सभी व्यक्ति को प्राप्त हो इस हेतु प्रयास करना उनसे अपेक्षित होगा।

(घ) समय-समय पर जन शिक्षा निदेशालय द्वारा आवंटित शिक्षा, साक्षरता, जन जागरण एवं सामाजिक कुरीतियों में सुधार के कार्य उनके द्वारा किए जाएँगे।

चयन की प्रक्रिया

3. रिक्ति का निर्धारण एवं चयन ।—

(क) (i) पूरे राज्य के लिए टोला सेवक (20,000) एवं शिक्षा स्वयंसेवियों (10,000) की संख्या निर्धारित है। यह जिलावार आबादी के आधार पर आवंटित की गई है जिसे अनुलग्नक "क" में दर्शाया गया है। यह संख्या जिले के लिए निर्धारित बल हैं। इस संख्या से अधिक का चयन/नियोजन अवैध होगा। निर्धारित संख्या में भी रिक्ति की कोटि स्वीकृत बल के अनुरूप होगी।

(ii) किस टोले में केन्द्र खोला जाये इसके लिए आवश्यक है कि पूरे जिले के सर्वे के आधार पर दलित- महादलित बाहुल्य एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग बाहुल्य टोलों की सूची अधिकतम संख्या से घटते क्रम की

ओर प्रखण्डवार तैयार की जाएगी। जिले में उपलब्ध सांख्यिकी एवं अन्य विभागों के संबंधित आँकड़ों से भी इस कार्य में सहयोग लिया जा सकता है। टोलों की संख्या की तुलना में निर्धारित इकाई कम है। अतएव सर्वप्रथम अधिक संख्या वाले टोले में टोला सेवक/स्वयंसेवी का चयन किया जाएगा। यह क्रम अधिक से कम की ओर होगा। सर्व प्रथम चयन का स्थान, चयन की कोटि (टोला सेवक या स्वयंसेवी महिला या पुरूष) निर्धारित किया जाएगा। इस सूची पर जिला पदाधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(iii) 60 वर्ष के उम्र के पूर्व के यदि कार्यरत टोला सेवक/स्वयंसेवी की मृत्यु हो जाती है या पद–मुक्ति या त्याग या अन्य कारणों से रिक्ति होती है तो ऐसी रिक्तियों पर चयन प्रक्रिया आरंभ करने के पूर्व जिला पदाधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iv) यदि रिक्त स्थान पर पूर्व के कार्यरत टोला सेवक/स्वयंसेवी एक वर्ष या उससे अधिक की सेवा दे चुके हैं तो यह स्थान आबादी क्रम में दूसरे टोले को देते हुए वहाँ नियोजन किया जायेगा। अर्थात्, जिस स्थान पर पद रिक्त हुआ है वहाँ एक साल की सेवा पूर्व के टोला सेवक/स्वयंसेवी द्वारा किए जाने की स्थिति में रिक्ति उस टोले की नहीं मानी जाएगी। यह रिक्ति प्रखण्ड की होगी एवं जिस टोले में आवश्यकता (महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग की आबादी के आधार पर घटते क्रम में निर्धारित सूची के आधार पर) के बावजूद केन्द्र नहीं दिया जा सका था, वहाँ के लिए इकाई आवंटित करके चयन की कार्रवाई होगी।

(ख) जिलों में महादलित, दलित, अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग समुदाय की जनसंख्या की बहुलता के आधार पर लक्ष्य के अनुरूप चिन्हित टोले में उसी समुदाय से एक टोला सेवक/शिक्षा सेवी का चयन किया जायेगा। टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी का नियोजन अनुबंध के आधार पर किया जाएगा।

4. चयन हेतु योग्यता :–

(क) आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। उच्चतर योग्यताधारी को चयन में किसी प्रकार का अतिरिक्त अधिमानता देय नहीं होगी।

(ख) मैट्रिक या समकक्ष में प्राप्त अंक के प्रतिशत एवं अनुभव अंक जोड़कर अभ्यर्थी का चयन मेधा सूची के आधार पर किया जायेगा। साक्षरता, शिक्षा या सरकार की किसी योजना में कम से कम छः माह या उससे अधिक समय तक काम करने एवं मानदेय/वेतन/प्रबोधन राशि प्राप्ति प्रमाण के आधार पर मेधा सूची में अतिरिक्त अंक अनुभव के इस प्रकार दिये जायेंगे–

(i) 6 माह से 1 वर्ष कार्य करनेवाले के लिये 5 अंक।

(ii) 1 वर्ष से अधिक के लिये 10 अंक।

(iii) अनुभव के 10 अंक अधिकतम होंगे। मैट्रिक या समकक्ष के प्राप्तांक प्रतिशत में जोड़कर मेधा सूची तैयार की जायेगी। गैर सरकारी क्षेत्र के कार्य के लिये एवं जिन कार्यों में मानदेय या वेतन या प्रबोधन भुगतान का प्रमाण नहीं होगा, अनुभव अंक देय नहीं होगा।

(ग) आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष की होगी। उम्र की गणना नियोजन वर्ष के 01 अगस्त को आधार मानकर की जाएगी।

(घ) आवेदक महादलित, दलित या अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग परिवार से होगा। चिह्नित टोलों में जिस महादलित, दलित, अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा कोटि की बहुलता होगी उसी कोटि के अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।

(ङ) सभी जिलों में टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयंसेवी की स्वीकृत संख्या अनुलग्नक 'क' में प्रतिवेदित है। जिस समूह में रिक्ति होगी उसी समूह से चयन द्वारा भरा जाएगा अर्थात् टोला सेवक की रिक्ति होने की स्थिति में टोला सेवक का तथा शिक्षा स्वंयसेवी की रिक्ति होने की स्थिति में शिक्षा स्वयंसेवी का चयन किया जाएगा।

(च) जिस टोला से टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी का चयन किया जाना है, वहीं के निवासी से आवेदन पत्र (अनुलग्नक 'ख') प्राप्त कर चयन किया जाएगा।

(छ) आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड की छाया प्रति लगाना आवश्यक होगा।

5. चयन :–

(क) टोला सेवक / शिक्षा स्वयंसेवी का नियोजन अनुबंध के आधार पर किए जाने हेतु संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति का गठन निम्नवत् किया जाएगा। समिति गठन हेतु पहल सदस्य–सह–संयोजक द्वारा किया जायेगा :–

क्र०	पद	ग्रामीण क्षेत्र	सं0
i	अध्यक्ष	संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य	1
ii	सदस्य–सह–संयोजक	संबंधित वार्ड के पोषक विद्यालय या टोला से निकटतम विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक (एक से अधिक विद्यालय होने के स्थिति में वरीय प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक)	1
iii	चार स्थानीय सदस्य	जिस टोले में चयन होना है वहाँ के संबंधित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में टोले की आम सभा में संबंधित समुदाय (महादलित / दलित / अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग) के चयनित चार सदस्य जिनमें से दो महिला अनिवार्य रूप से सदस्य के रूप में रहेंगी।	4 (2 महिला अनिवार्य)
iv	सदस्य	संबंधित पंचायत के निर्वाचित अनुसूचित जाति महिला सदस्य	1
v	सदस्य	चयनित होनेवाले टोले की जीविका दीदी (यदि चयन होनेवाले वार्ड में जीविका दीदी नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक, जीविका द्वारा उसी पंचायत से किसी जीविका दीदी को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा। पंचायत स्तर पर जीविका दीदी उपलब्ध नहीं रहने पर प्रखंड से किसी जीविका दीदी को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा।)	1
vi	सदस्य	संबंधित प्रखण्ड के के0आर0पी0	1
		कुल संख्या	9

(ख) निर्धारित / स्वीकृत बल की रिक्ति के विरूद्ध स्थान (टोला) एवं संख्या (50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए निर्धारित करते हुए), का अनुमोदन जिला पदाधिकारी से लेने के पश्चात् नियोजन की कार्रवाई आरंभ होगी। सूचना प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर 21 दिन पूर्व प्रकाशित की जायेगी। इसे कम से कम निम्नांकित 5 सार्वजनिक स्थलों के नोटिस बोर्ड पर अवश्य चिपकाया जायेगा एवं उनके कार्यालय प्रधान को प्रचारार्थ एक प्रति प्राप्त करायी जायेगी:–

(i) प्रखण्ड प्रमुख कार्यालय (ii) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कार्यालय (iii) प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, (iv) जिस पंचायत में चयन किया जाना है उसके सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय (v) जिस पंचायत के लिए चयन किया जाना है उसके पंचायत भवन। नियोजन का सम्पूर्ण कार्यक्रम जिले की सरकारी (NIC) वेबसाईट् पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

(ग) आवेदन सदस्य–सह–संयोजक (चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक) के पास जमा किया जायेगा। आवेदन प्राप्ति की रसीद आवेदक को दी जाएगी।

(घ) टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी चयन में महादलित, दलित, अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग समुदाय की महिला को 50% कोटा अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।

(ड़) मेधा अंक की गणना निम्नलिखित रूप से की जायेगी एवं इसे प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर प्रकाशित कराया जायेगा एवं आपत्तियों को आमंत्रित किया जायेगा। आपत्तियों के निराकरण के उपरांत ही अंतिम चयन सूची प्रकाशित की जायेगी।

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	कोटि (दलित/महादलित/अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा	महिला/पुरूष	जन्म तिथि	पूर्णांक	मैट्रिक या समकक्ष में प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	अनुभव अंक	योग (9+10)	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

आपत्ति आमंत्रण हेतु औपबंधिक मेधा सूची (प्रपत्र–ग) प्रकाशन के पश्चात् एक सप्ताह का समय निर्धारित होगा एवं आपत्ति प्राप्ति के अंतिम दिवस से तीन दिनों के भीतर आपत्ति का निराकरण करते हुए अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। प्रकाशित मेधा सूची अगले कार्य दिवस को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) कार्यालय को उपलब्ध करायी जाएगी जिसे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा 15 दिनों के अंदर अनुमोदित करते हुए संलग्न प्रपत्र (अनुलग्नक– घ) में नियोजन पत्र निर्गत करने की कार्रवाई की जाएगी।

(च) समान मेधा अंक रहने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता, समान अंक एवं समान उम्र होने पर अभ्यर्थी के नाम का अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार चयन किया जाएगा।

(छ) चयनोपरांत सभी टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयंसेवियों का पाँच दिवसीय प्रारंभिक प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। वैसे अभ्यर्थी जिनके नाम से नियोजन पत्र निर्गत हो किन्तु पाँच दिवसीय प्रारंभिक प्रशिक्षण में योगदान नहीं किये हों और न ही 5 दिनों तक प्रशिक्षण प्राप्त किये हो, उन्हें अनुपस्थित मानते हुए मेधा सूची के अगले क्रम के अभ्यर्थी को नियोजन पत्र निर्गत किया जा सकेगा।

(ज) नियोजन हेतु निर्मित पैनल मात्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। किसी ठोस कारण से यदि पैनल से नियोजन नहीं हो पाया तो एक वर्ष बाद नियोजन का दावा मान्य नहीं होगा।

(झ) चयनित अभ्यर्थियों के योगदान के उपरांत संयोजक के द्वारा उनके शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रों के सत्यापनोपरांत सही पाए जाने पर ही मानदेय भुगतान की कार्रवाई की जा सकेगी। प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध संयोजक द्वारा कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।

(ञ) चयन पर दावा/आपत्ति होने की स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष नियोजन पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों तक प्रथम अपील किया जा सकता है। प्रथम अपील में जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर द्वितीय अपील 15 दिनों के अंदर जिला पदाधिकारी के समक्ष किया जा सकता है। जिला पदाधिकारी द्वारा 30 दिनों के अंदर ऐसे द्वितीय अपील का निष्पादन किया जायेगा।

6. मानदेय :–

(क) प्रत्येक टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी को प्रतिमाह रु0 8000.00 (आठ हजार) मात्र मानदेय संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) कार्यालय से भुगतान उनके आधार संबद्ध (Seeded) खाते में ही आर0टी0जी0एस0 या अन्य निर्धारित बैंक की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। मानदेय का भुगतान प्रधानाध्यापक द्वारा के0आर0पी0 को उपलब्ध करायी गयी ऋणात्मक विवरणी (Negative Statement) के आधार पर किया जायेगा। टोला सेवक एवं शिक्षा स्वंयसेवियों की अनुपस्थिति की दशा में प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक गत माह में अनुपस्थित दिवस की गणना के साथ के0आर0पी0 को विवरणी उपलब्ध करा दी जाएगी एवं के0आर0पी0 द्वारा 10 तारीख तक ऋणात्मक सूची जिला कार्यालय साक्षरता को जमा की जाएगी। ऋणात्मक सूची नहीं देने की स्थिति में टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी को अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित मानते हुए मानदेय का भुगतान कर दिया जायेगा। भुगतानोपरांत यदि तथ्य प्रकाश में आता है कि किसी भी प्रकार का गलत भुगतान हुआ है तो उनके अगले माह के मानदेय से कटौती की जायेगी। दोषपूर्ण विवरणी देने के लिए संबंधित प्रधानाध्यापक/के0आर0पी0 जवाबदेह होंगे एवं उनके विरूद्ध उचित कार्रवाई की जायेगी।

(ख) सेवाकाल में मृत्यु के उपरांत आश्रित को 4.00 लाख रु0 की अनुग्रह राशि एकमुश्त देय होगी। निम्नांकित प्रमाण के साथ निदेशालय को समर्पित अभ्यावेदन के आधार पर ही अनुग्रह राशि का भुगतान किया जायेगा :—

(I) चिकित्सक/अस्पताल द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण–पत्र।

(II) मृत्यु तिथि तक टोला सेवक के पद पर कार्यरत थे, इस आशय का प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र।

(III) अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत पारिवारिक सदस्यता (वंशावली) प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।

(iv) मृतक एवं आश्रित के आधार कार्ड की अभिप्रमाणित प्रति।

(v) कार्यपालक दंडाधिकारी से कानूनी वारिस संबंधी शपथ–पत्र की मूल प्रति।

(vi) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा निदेशालय को अनुशंसा।

7. टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवक की छुट्टी ।—

टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी को वर्ष में 12 (बारह) दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा। संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। महिलाओं को 90 (नब्बे) दिनों का मातृत्व अवकाश प्रधानाध्यापक की अनुशंसा पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। यह सुविधा मात्र दो बच्चों तक ही देय होगी। वर्ष में अधिकतम 30 (तीस) दिनों का अवैतनिक अवकाश गंभीर स्वास्थ्य समस्या या अन्य विशेष परिस्थिति में प्रधानाध्यापक की अनुशंसा पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा देय होगा। ग्रीष्मावकाश एवं अन्य बड़ी छुट्टियों में विद्यालय पहुँचाने का कार्य स्थगित रहेगा, परन्तु कोचिंग क्लास एवं माताओं को पढ़ाने का कार्य जारी रहेगा। केवल रविवार/उर्दू विद्यालय के लिए शुक्रवार के दिन तथा महत्वपूर्ण पर्व–त्योहारों के दिन (जिसमें टोला के लोग शामिल होते हों) कोचिंग एवं माताओं के शिक्षण का कार्य स्थगित रहेगा।

8. प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण ।—

(क) चयनित टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवियों के लिये 05 (पाँच) दिनों का प्रारंभिक प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण का आयोजन किया जायेगा। प्रशिक्षण के पश्चात् नियोजन–पत्र का वितरण किया जायेगा। इसके पश्चात् ही केन्द्र पर कार्य करने की अनुमति दी जायेगी। बिना प्रशिक्षण कार्य करना या लेना अवैध माना जाएगा। विद्यालय में योगदान के समय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा निर्गत नियोजन–पत्र के साथ–साथ प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ख) टोला सेवकों/स्वयंसेवकों के ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति एवं व्यक्तित्व के विकास के लिये समय-समय पर आकलन करते हुए उपचारात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

9. कार्यस्थल/कार्यक्षेत्र में परिवर्तन :-

(i) सम्पूर्ण बिहार में महादलित, दलित, अल्पसंख्यकों के टोले हजारों की संख्या में हैं। परन्तु, इस कार्यक्रम में केन्द्रों की अधिकतम स्वीकृत संख्या 30 हजार (20 हजार टोला सेवकों के लिए एवं 10 हजार शिक्षा स्वयंसेवियों लिए) है। जो कार्य इन्हें टोले में आवंटित हैं वह 2 वर्ष के अधीन भली भाँति पूरा किया जा सकता है। यदि कोई टोला सेवक इसे 2 वर्ष में नहीं कर पाते हैं तो उन्हें एक वर्ष के समय का विस्तार उसी टोले में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। इसके बाद भी लक्ष्य (80 प्रतिशत) पूरा नहीं होने की स्थिति में उन्हें अयोग्य मानते हुए उनकी सेवा-मुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी इन निर्णयों के लिये टोला के विद्यालय के प्रधानाध्यापक के प्रतिवेदन, वार्ड सदस्य के प्रतिवेदन, माताओं की राय, के.आर.पी. के प्रतिवेदन पर स्वयं के तथ्यात्मक निरीक्षण के आधार पर प्रस्ताव तैयार करेंगे एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) को प्रेषित करेंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) प्राप्त प्रस्ताव के समीक्षोपरांत प्रक्रिया का पालन करते हुए सेवा मुक्ति का आदेश दे सकेंगे।

(ii) एक टोले में टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी 2 वर्षों तक कार्य करेंगे। दो वर्ष से पूर्व दूसरे टोले के लिए स्थल परिवर्तन नहीं होगा। उनसे यह अपेक्षा है कि उस टोले के लिए निर्धारित लक्ष्य को भली-भाँति 2 वर्ष के अन्दर प्राप्त कर लेंगे। अधिकतम तीन वर्ष तक कार्य की अनुमति होगी। कार्यस्थल के पंचायत के अन्दर दूसरे टोले में महादलित/दलित/अतिपिछड़ा अल्पसंख्यकों की आबादी के आधार पर अधिक संख्या वाले टोले में क्रमानुसार उन्हें प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के प्रस्ताव पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता द्वारा प्रतिनियोजित किया जाएगा। नये प्रतिनियोजन स्थल में उन्हें 2 से 3 वर्ष कार्य करना होगा। इस क्रम में सभी टोला आच्छादित होने पर एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात् प्रतिनियोजन दूसरे पंचायत में किया जाएगा। स्थान परिवर्त्तन का निर्णय वर्ष के अप्रैल या मई माह में लिया जाएगा ताकि शैक्षिक वर्ष के आरंभ से कार्य करने का अवसर मिले।

10. नियोजन की अवधि एवं नियोजन समाप्त करने की प्रक्रिया :–

(i) टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी का नियोजन 60 (साठ) वर्ष की उम्र सीमा तक कार्य किये जाने हेतु किया जायेगा। किसी कारण शरीर से पूरी तरह अक्षम या कार्य करने लायक नहीं रहने की स्थिति में मेडिकल बोर्ड की जाँच के पश्चात् उन्हें 60 वर्ष से पूर्व सेवा मुक्त किया जा सकेगा।

(ii) टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे। ये मानदेय पर कार्यरत कार्यक्रम के संविदा कर्मी होंगे।

(iii) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा, कारण पृच्छा के बाद, प्रक्रिया का पालन कर मुखर आदेश से टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी को निम्नांकित स्थितियों में नियोजन समिति के निर्णयानुसार सेवा–मुक्त किया जा सकेगा :–

(क) 30 दिनों से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहने पर/आदतन अनुपस्थिति।

(ख) तीन या तीन से अधिक निरीक्षण/अनुश्रवण में यह प्रमाणित होने पर कि टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी कार्य के प्रति पूरी तरह लापरवाह हैं।

(ग) आपराधिक गतिविधि में शामिल होने या अनैतिक आचरण करने या दलगत राजनीति में शामिल होकर चुनाव लड़ने की घटना प्रमाणित होने पर।

(घ) शराब पीने, शराब बेचने, बाल–विवाह करने, दहेज लेना प्रमाणित होने पर।

(ङ) 30 (तीस) दिन से अधिक बिना सूचना एवं बिना ठोस कारण के अनुपस्थित रहना प्रमाणित होने पर।

(च) समाज–विरोधी या अराजकतावादी गतिविधियों में शामिल होने या कुकृत्य करना प्रमाणित होने पर।

(iv) नियोजन समाप्ति के विरूद्ध प्रथम अपील 15 दिनों के अंदर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष किया जा सकता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिवार्य रूप में 15 दिनों के अंदर अपील का निष्पादन करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर जिला पदाधिकारी के समक्ष 15 दिनों के अंदर द्वितीय अपील किया जा सकता है। जिला पदाधिकारी 30 दिनों के अंदर द्वितीय अपील का निष्पादन करेंगे।

11. इस मार्गदर्शिका के लागू होने से पूर्व के सभी निदेश, जो इससे भिन्न एवं इतर/विरोधी होंगे, निरसित समझे जायेंगे।

12. यह मार्गदर्शिका पूर्व से कार्यरत टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी पर भी लागू होगी।

13. इस मार्गदर्शिका में आवश्यकतानुसार संशोधन प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर किया जा सकेगा।

***

राज्य के महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना अंतर्गत जिलावार उत्थान केन्द्र एवं तालीमी मरकज केन्द्रों की निर्धारित संख्या (As on 01.04.2018)

क्र0	जिला का नाम	साक्षरता केन्द्रों का लक्ष्य (प्रति केन्द्र एक व्यक्ति)		
		उत्थान केन्द्र (टोला सेवकों की संख्या)	तालीमी मरकज (शिक्षा स्वयंसेवी की सं0)	कुल
1	2	3	4	5
1	पटना	736	343	1079
2	भोजपुर	753	382	1135
3	बक्सर	82	60	142
4	रोहतास	687	307	994
5	कैमुर	255	89	344
6	नालंदा	509	128	637
7	मुंगेर	694	65	759
8	लखीसराय	201	26	227
9	जमुई	1068	123	1191
10	शेखपुरा	264	28	292
11	खगड़िया	655	95	750
12	बेगूसराय	216	227	443
13	नवादा	471	151	622
14	गया	2089	292	2381
15	जहानाबाद	205	55	260
16	अरवल	61	35	96
17	औरंगाबाद	1293	142	1435
18	सीवान	162	208	370
19	सारण	35	244	279
20	गोपालगंज	35	266	301
21	बांका	649	137	786
22	भागलपुर	471	306	777
23	कटिहार	826	736	1562
24	किशनगंज	183	533	716
25	अररिया	568	535	1103
26	पूर्णिया	371	500	871
27	वैशाली	204	187	391
28	मुजफ्फरपुर	416	402	818
29	सीतामढ़ी	208	411	619
30	शिवहर	74	58	132
31	पू0 चम्पारण	926	546	1472
32	प0 चम्पारण	755	468	1223
33	समस्तीपुर	1402	257	1659
34	दरभंगा	221	542.	763
35	मधुबनी	1119	581	1700
36	सहरसा	291	158	449
37	सुपौल	98	218	316
38	मधेपुरा	747	159	906
	कुल	20000 (टोला सेवक)	10000 (शिक्षा स्वयं सेवी)	30000

निदेशक
जन शिक्षा बिहार
पटना

अनुलग्नक– ख

जन शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना

टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयंसेवी नियोजन हेतु आवेदन पत्र

क्रम सं0–

कार्यालय द्वारा भरा जाएगा	आवेदक द्वारा भरा जाएगा
निर्धारित जाति बहुलता	(जिस पंचायत/वार्ड (शहरी) के लिए आवेदन दिया जा रहा है उसका नाम)
आरक्षण (महिला)	टोला/पंचायत/वार्ड (शहरी) ....

पासपोर्ट आकार का अभिप्रमाणित फोटो चिपकाएँ।

1. आवेदक/आवेदिका का नाम ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. माता का नाम ....
4. जाति प्रमाण-पत्र ....
5. (क) जन्मतिथि दिन ☐☐ माह ☐☐ वर्ष ☐☐☐☐

   (ख) उम्र (दिनांक 01.08.20...... को) वर्ष ☐☐ माह ☐☐ दिन ☐☐
6. स्थायी निवास

   (क) टोला/गांव/मुहल्ला ....

   (ख) पंचायत/वार्ड (शहरी) ....

   (ग) प्रखण्ड/नगर निकाय ....

   (घ) जिला ...., (च) राज्य ...., (छ) पिन कोड ....

   (ज) आधार सं0....................

   (झ) फोन/मोबाईल नं0 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
7. शैक्षणिक योग्यता

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	कोटि (दलित/महादलित/अल्पसंख्यक पिछड़ावर्ग	महिला/पुरूष	जन्म तिथि	पूर्णांक	मैट्रिक या समकक्ष में प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	अनुभव अंक	योग (9+10)	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

घोषणा :– मेरी जानकारी और विश्वास में उपर्युक्त सूचनाएँ सत्य हैं। असत्य पाए जाने पर मेरा चयन रद्द कर मेरे विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान–

दिनांक –

आवेदक का पूरा नाम हस्ताक्षर

नोट– आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज स्वयं अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें– 1. शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण–पत्र 2. आवासीय प्रमाण–पत्र 3. कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र। 4 अनुभव की अवधि में वेतन भुगतान का प्रमाण–पत्र। 5 जाति प्रमाण पत्र।

✂------------------------------------✂------------------------------------✂

टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी नियोजन के लिए आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद

श्री/सुश्री/श्रीमती ...., पिता/पति श्री ....,
(क) टोला/गांव/मुहल्ला .... (ख) पंचायत/वार्ड (शहरी) ....
(ग) प्रखण्ड/ नगर निकाय .... (घ) जिला .... का आवेदन पत्र टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी के नियोजन हेतु दिनांक .... को प्राप्त किया। इन्होंनें पंचायत/वार्ड (शहरी) .... प्रखण्ड/नगर निकाय .... जिला .... के लिए आवेदन दिया है जिसका क्र0 सं0 .... है।

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर एवं मुहर

अनुलग्नक - ग

जन शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना

टोला सेवक या शिक्षा स्वयंसेवी चयन : मेधा सूची प्रपत्र

टोला/पंचायत/वार्ड समूह स्तरीय प्रपत्र

प्रखण्डः पंचायतः– टोला/वार्डः – टोले में किस समुदाय की बहुलता है –

क्र0 सं0	आवेदक/आवेदिका का नाम	पिता/पति का नाम	महिला/पुरूष	जन्म तिथि	मैट्रिक या समकक्ष का पूर्णांक (अधिकतम अंक)	प्राप्तांक	अंको का प्रतिशत	अनुभव के आधार पर अंक	कुल अंक (8+9)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

सदस्य–सह–संयोजक सदस्य सदस्य सदस्य अध्यक्ष

अनुलग्नक– घ

कार्यालय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता)............................।

पता – ....

पत्रांक– .... दिनांक– ....

नियोजन–पत्र

श्री / श्रीमती : ....

पिता / पति का नाम : ....

ग्राम : .... पोस्ट : ....

प्रखण्ड : .... जिला : ....

आपको सूचित किया जाता है कि जन शिक्षा निदेशालय, पटना के पत्रांक– .... दिनांक– .... के आलोक एवं दिनांक .... को प्रकाशित चयन सूची के आधार पर आपका चयन टोला सेवक / शिक्षा स्वयंसेवी के रूप में टोला.............................. एवं संबद्ध विद्यालय.. पंचायत.................................... प्रखंड............................ जिला .... में निम्नलिखित नियम एवं शर्तों पर मानदेय आधारित नियोजन 'टोला सेवक / शिक्षा स्वयंसेवी' के रूप में किया जाता है :–

1. आप निर्धारित टोले के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय से जोड़ेंगे। उनकी उपस्थिति 80 प्रतिशत् तक बनाये रखने का कार्य करेंगे तथा बच्चों को वर्ग सापेक्ष गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में सहयोग करेंगे।
2. निर्धारित टोले के असाक्षर वयस्क महिलाओं को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करेंगे।
3. सरकार की विकास योजनाओं, समाज सुधार के कार्यक्रमों से टोले के लोगों का परिचय कराते हुए जागरूक करेंगे। आप अपने–अपने कार्य–क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु प्रशासन एवं लाभुकों के बीच समन्वय करेंगे। समय–समय पर निदेशालय द्वारा आवंटित शिक्षा, साक्षरता एवं जन–जागरण के कार्य करेंगे।
4. आपका नियोजन 60 वर्ष की उम्र सीमा तक कार्य किये जाने हेतु किया गया है। किसी कारण शरीर से पूरी तरह अक्षम या कार्य करने लायक नहीं रहने की स्थिति में मेडिकल बोर्ड की जाँच के पश्चात् आपको 60 वर्ष से पूर्व सेवा मुक्त किया जा सकेगा।
5. आप मानदेय पर कार्यरत कार्यक्रम के संविदा कर्मी होंगे। आप का नियोजन सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में किया गया है और आपका मुख्य दायित्व संदर्भित लोगों को शिक्षा एवं साक्षरता की मुख्य धारा में लाना है।
6. आपको निम्नांकित स्थितियों में कारण पृच्छा कर, प्रक्रिया का पालन करते हुये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता द्वारा सेवा–मुक्त किया जा सकेगा :–
   (क) 30 दिनों से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहने पर / आदतन अनुपस्थिति। (ख) तीन या तीन से अधिक निरीक्षण / अनुश्रवण में यह प्रमाणित होने पर कि आप कार्य के प्रति पूरी तरह लापरवाह हैं। (ग) आपराधिक गतिविधि में शामिल होने या अनैतिक आचरण करने या दलगत राजनीति में शामिल होकर चुनाव लड़ने की घटना प्रमाणित होने पर। (घ) शराब पीने, शराब बेचने, बाल विवाह करने एवं दहेज लेना प्रमाणित होने पर। (ङ) 30 (तीस) दिन से अधिक बिना ठोस कारण अनुपस्थित रहना प्रमाणित होने पर। (च) समाज विरोधी या अराजकतावादी गतिविधियों में शामिल होने या कुकृत्य प्रमाणित होने पर।
7. आपने शपथ–पत्र द्वारा निर्धारित शर्तों के पालन की सहमति दी है।
8. सेवा अवधि में आपको प्रतिमाह 8,000/– (आठ हजार) रु0 मानदेय संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) के कार्यालय से उपस्थिति एवं कार्य के आधार पर दिया जायेगा।
9. आपके द्वारा दी गयी जानकारी / प्रमाण–पत्र असत्य पाये जाने पर आपका नियोजन रद्द कर दिया जाएगा एवं आपके विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई भी की जायेगी।
10. प्रशिक्षण के पश्चात् आप कार्य हेतु योगदान करेंगे।

स्थान : ....

दिनांक : ....

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
साक्षरता

टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयंसेवी का शपथ पत्र

1. मैं ...., पुत्र/पुत्री ...., जिला ...., प्रखण्ड.. पंचायत/वार्ड .... के टोला ...., संबद्ध विद्यालय.......................... में टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी के रुप में ईश्वर/खुदा को साक्षी मानकर यह शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं अपनी पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से अपने क्षेत्र के सभी 6–14 आयु के बच्चों को विद्यालय से जोड़कर गुणात्मक शिक्षा प्राप्त कराऊँगा/कराऊँगी एवं वयस्क महिलाओं को साक्षर बनाऊँगा/बनाऊँगी। दलितों/महादलितों/अल्पसंख्यकों पिछड़ा वर्ग को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सरकार एवं लाभार्थी के बीच समन्वय काम करुँगा/करुँगी।

2. मैं अपने कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले सभी भाई एवं बहनों को एक समान समझूँगा/समझूँगी और जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करुँगा/करुँगी।

3. मैं नशा मुक्ति अभियान को घर–घर तक पहुँचाऊँगा/पहुँचाऊँगी। इसके साथ ही दहेज–प्रथा एवं बाल विवाह के विरुद्ध समाज में जागरुकता लाने का प्रयास करूँगा/करूँगी।

3. मैं जन शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना एवं सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरी लगन, निष्ठा एवं अपनी पूरी ऊर्जा के साथ पूरा करूँगा/करूँगी एवं निर्धारित टोले के सर्वांगीण विकास में पूर्ण सहयोग दूँगा/दूँगी।

4. संविदा आधारित नियोजन की सभी शर्तें मुझे स्वीकार है।

5. मैं सरकारी सेवा का दावा नहीं करूँगा/करूँगी।

दिनांक– .... **पूरा नाम**– ....

स्थान -- .... **हस्ताक्षर**– ....

महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना

टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयसेवियों के चयन से संबंधित मेधा प्रतिवेदन

जिला का नाम – ....

प्रखण्ड का नाम – ....

पंचायत का नाम – ....

टोला/वार्ड का नाम – ....

क्र०	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	पता	मैट्रिक का पूर्णाक	मैट्रिक का प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	अनुभव का अंक	मेधा अंक	अभ्युक्ति

प्रधानाध्यापक–सह– संयोजक

अध्यक्ष

पत्रांक–13/वि० 03–08/2017......................../

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

कुमार रामानुज,
निदेशक, जन शिक्षा–सह–अपर सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक–......................................./

विषय :– महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के तहत मुख्य स्रोत व्यक्ति (Key Resource Person) के चयन एवं सेवाशर्त्त से संबंधित मार्गदर्शिका, 2020 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के तहत **मुख्य स्रोत व्यक्ति (Key Resource Person) के चयन एवं सेवाशर्त्त से संबंधित मार्गदर्शिका, 2020** तैयार की गई है (प्रति संलग्न)। इसे पत्र निर्गत की तिथि से लागू किया जाता है।

2. इस संबंध में अंकित करना है कि इस मार्गदर्शिका के लागू होने से पूर्व के सभी निदेश जो इससे भिन्न एवं इतर/विरोधी होगे, निरसित समझे जायेंगे।

3. विभाग के स्तर से पूर्व में मुख्य स्रोत व्यक्ति (Key Resource Person) का चयन अस्थायी तौर पर स्थगित रखा गया था, को निरस्त करते हुए निदेश दिया जाता है कि संलग्न मार्गदर्शिका, 2020 के आलोक में रिक्त पदों पर चयन एवं नियोजन किये जायेंगे।

4. यह मार्गदर्शिका, 2020 की सेवाशर्त्त पूर्व से कार्यरत मुख्य स्रोत व्यक्ति (Key Resource Person) पर भी लागू होगी। मुख्य स्रोत व्यक्ति चयन हेतु राज्य स्तर पर विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जायेगे। राज्य स्तर पर जिलावार पैनल तैयार कर संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता) को उपलब्ध कराया जायेगा। तत्पश्चात् मार्गदर्शिका, 2020 में निहित निदेशों के अनुसार चयन/नियोजन का कार्य जिला स्तर से होगा। इससे संबंधित प्रक्रिया मार्गदर्शिका में वर्णित है।

5. चयन एवं सेवाशर्त से संबंधित मार्गदर्शिका से संबंधित प्रस्ताव में प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०:– यथोपरि।

विश्वासभाजन,

ह०/–
(कुमार रामानुज)
निदेशक, जन शिक्षा–सह–अपर सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–1884/ पटना, दिनांक–10/12/2020/

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10.12.20

निदेशक, जन शिक्षा–सह–अपर सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना

मुख्य स्रोत व्यक्ति (Key Resource Person) के चयन एवं सेवाशर्त्त से संबंधित मार्गदर्शिका–2020

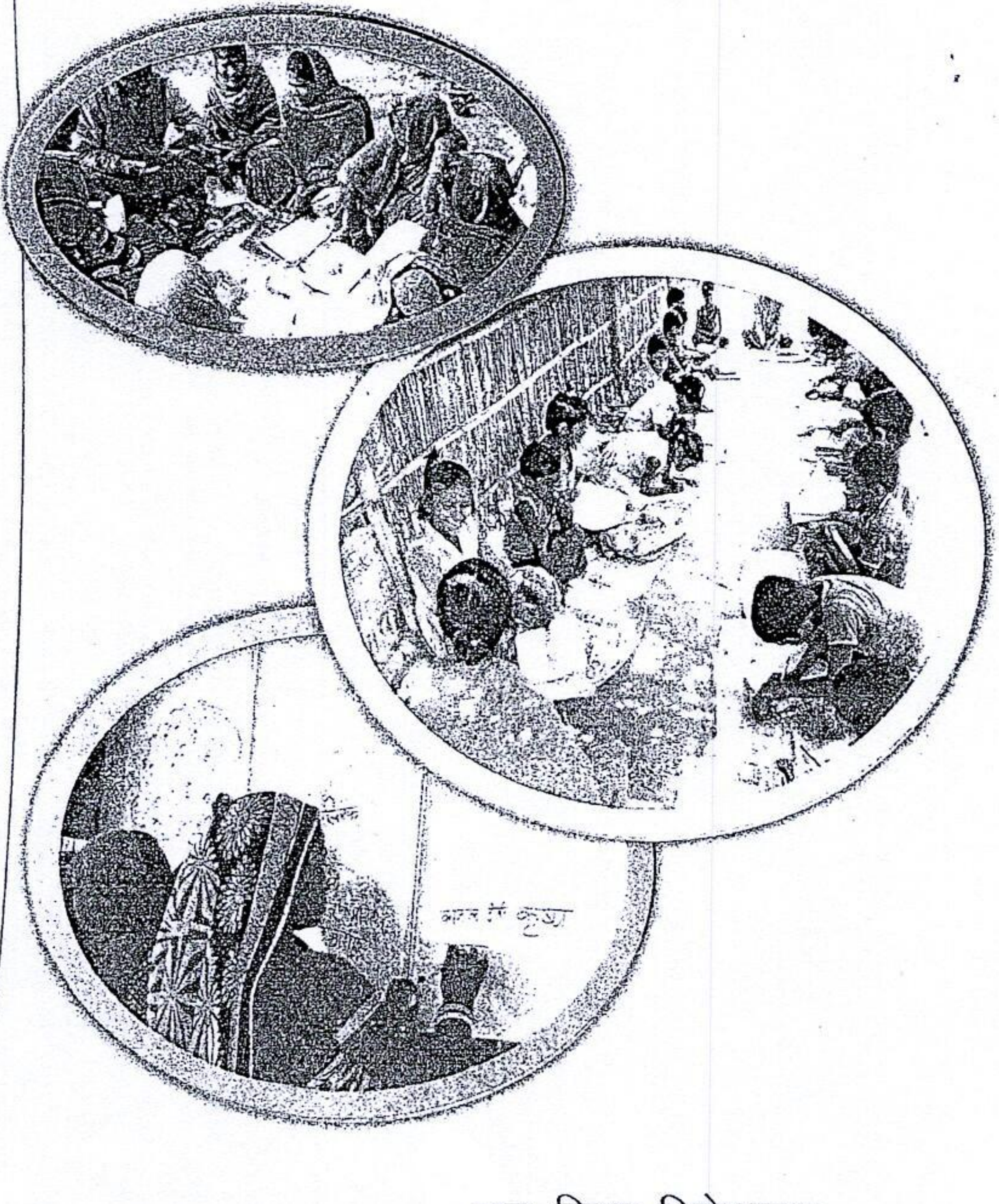

जन शिक्षा निदेशालय

तृतीय मंजिल, कमरा सं0–351, विकास भवन,नया सचिवालय, बेली रोड, पटन

मुख्य स्रोत व्यक्ति (Key Resource Person) के चयन एवं सेवाशर्त्त से संबंधित मार्गदर्शिका–2020

1. प्रस्तावना

- वित्तीय वर्ष 2009–10 में राज्य सरकार द्वारा अभिवंचित तबकों के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री अक्षर आँचल योजना का संचालन सभी जिलों में किया गया।
- योजना के सफल संचालन हेतु प्रत्येक जिले के लिए एक एस0आर0पी0 (राज्य संसाधन व्यक्ति) तथा प्रखण्ड स्तर पर एक मुख्य स्रोत व्यक्ति (के0आर0पी0) का चयन किया गया था।
- राज्य स्तरीय प्रशिक्षणोपरान्त के0आर0पी0 द्वारा अपने–अपने जिला में उस समय के तत्कालीन जिला जन शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा आवंटित प्रखण्डों में अक्षर दूतों को प्रशिक्षण दिया जाता था एवं अक्षर आँचल केन्द्रों का अनुश्रवण किया जाता था।
- अक्षर आँचल योजना की समाप्ति के पश्चात् राज्य–सम्पोषित महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना एवं साक्षर भारत योजना के अन्तर्गत इनके द्वारा विभिन्न विषयों यथा–प्रवेशिका पढ़ाने के तरीके, अक्षर मेला, कार्यक्रम संचालन, सर्वे, महापरीक्षा इत्यादि से संबंधित प्रखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण दिए गए।
- प्रारंभ में प्रत्येक जिले में प्रखण्ड स्तर पर कार्यक्रम के संचालन हेतु 16 (08 पुरुष एवं 08 महिला) अनुभवी साक्षरता कर्मियों को जिला स्तर पर चयनित कर के0आर0पी0 बनाया गया था, अर्थात्–24 प्रखण्ड के जिला में भी 16 के0आर0पी0 एवं 07 प्रखण्ड के जिला में भी 16 के0आर0पी0।
- इस व्यवस्था से जिन जिलों में प्रखण्डों की संख्या अधिक थी, वहाँ 16 के0आर0पी0 के माध्यम से कार्यक्रम के प्रबोधन/अनुश्रवण में परेशानी होती थी। इसे देखते हुए निर्णय लिया गया कि सभी प्रखण्ड में 01 के0आर0पी0 होंगे, अर्थात्– प्रखण्डों की संख्या के अनुरूप छोटे जिले में के0आर0पी0 की संख्या कम की गयी तथा बड़े जिले में संख्या बढ़ायी गयी। इससे एकरूपता आ गई और प्रत्येक प्रखण्ड के लिए 01 के0आर0पी0 कार्य करने लगे।
- वित्तीय वर्ष 2009–10 में मुख्यमंत्री अक्षर आँचल योजना के समय जिन अनुभवी साक्षरता कर्मियों को रखा गया था, उनमें से कई बाद में नियोजित शिक्षक बन गये। जन अभियान एवं साक्षरता के अनुभव को देखते हुए इनसे के0आर0पी0 के रूप में कार्य लिया जाता रहा है।

- अनुश्रवण हेतु के0आर0पी0 को कोई मानदेय नहीं दिया जाता है, बल्कि यात्रा–भत्ता का भुगतान किया जाता है।

- वर्त्तमान में कुल 420 के0आर0पी0 कार्यरत हैं, जिनमें से 114 शिक्षक तथा 306 गैर शिक्षक हैं। शिक्षक के0आर0पी0 को अनुश्रवण/प्रबोधन हेतु 500/– रुपये की दर से अधिकतम 15 दिनों के लिए प्रतिमाह 7,500/– रुपये तथा गैर–शिक्षक के0आर0पी0 को अनुश्रवण/प्रबोधन हेतु 500/– रुपये की दर से अधिकतम 20 दिनों के लिए प्रतिमाह 10,000/– रुपये का भुगतान किया जाता है।

अक्षर आँचल योजना में राज्य के हर प्रखण्ड में योजना के अनुश्रवण एवं सहयोग के लिए एक के0आर0पी0 का प्रावधान है। परन्तु उनके चयन एवं सेवाशर्त्त से संबंधित कोई निर्देशिका पूर्व से नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में यह मार्गनिर्देशिका तैयार की गई है, जिस पर शासन का अनुमोदन प्राप्त करना तथा इसे क्रियान्वित करवाना आवश्यक है।

2. रिक्ति का निर्धारण एवं चयन

I. मुख्य स्रोत व्यक्ति (Key Resource Person) का चयन आरक्षण रोस्टर के अनुरूप जिला को इकाई मानते हुए किया जाएगा। जिला अन्तर्गत प्रखण्डों की संख्या के अनुरूप रोस्टर बिंदु का पालन करते हुए आरक्षण–तालिका तैयार की जाएगी।

II. पूर्व से कार्यरत KRP (गैर शिक्षक) जिस श्रेणी के हैं, उस श्रेणी के आरक्षित पद के विरूद्ध उन्हें कर्णांकित कर भरा हुआ माना जाएगा। शेष रह गई रिक्तियों के विरुद्ध चयन की प्रक्रिया की जाएगी।

III. पूर्व से कार्यरत शिक्षक के0आर0पी0 या किसी अन्य संस्था से मानदेय/वेतन पाने वाले के0आर0पी0 के पद को रिक्त माना जाएगा। इन पदों पर रोस्टर के अनुरूप चयन–प्रक्रिया करने के पश्चात् पूर्व से कार्यरत के0आर0पी0 को चयन–मुक्त किया जायेगा।

IV. जिला में रोस्टर के अनुसार कोटिवार रिक्ति एवं कार्यरत गैर–शिक्षक के0आर0पी0 की संख्या का मिलान करने पर अगर किसी आरक्षित कोटि में या गैर–आरक्षित कोटि में कार्यरत के0आर0पी0 (कोटि के अनुसार) की संख्या उपलब्ध रिक्ति से अधिक हो, तो बाद में नियुक्त कर्मी (जिनका चयन अन्य के0आर0पी0 के बाद हुआ हो), को चयनमुक्त कर दिया जाएगा।

V. यदि किसी अरक्षित कोटि में कार्यरत के0आर0पी0 की संख्या उपलब्ध रिक्ति से अधिक हो तथा उनके योगदान की तिथि एक समान हो, तो वैसी स्थिति में जिनकी शैक्षणिक योग्यता/कुल प्राप्तांक का प्रतिशत कम होगा, उन्हें चयनमुक्त किया जायेगा।

3. चयन हेतु योग्यता

(i) आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता–प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होगी।

(ii) आवेदक की उम्र न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होगी। उम्र की गणना नियोजन वर्ष 01 जनवरी को आधार मानकर की जाएगी।

(iii) के0आर0पी0 का पद अवैतनिक एवं पूर्णतः अस्थायी प्रकृति का है। साक्षरता अभियान के लिए स्वेच्छा से समय देने वाले स्वयंसेवक/व्यक्ति इसके लिए आवेदन दे सकते हैं।

(iv) के0आर0पी0 (मुख्य स्रोत व्यक्ति) का मुख्यालय प्रखण्ड में होगा। कार्यक्रमों के लिए योजना, कार्यान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यांकन, प्रशिक्षण, प्रतिवेदन तैयार करने की दक्षता, नेतृत्व की क्षमता, प्रजातांत्रिक मूल्यों में आस्था, प्रतिबद्धता और सत्यनिष्ठा गुणों से युक्त व्यक्ति के.आर.पी. के रूप में ज्यादा उपयुक्त होंगे, ऐसी अपेक्षा है।

(v) आवेदक उस जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसके लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

(vi) वैसे कर्मी, जो किसी अन्य संस्थान/विभाग में कार्यरत नहीं हों, के0आर0पी0 की पात्रता के उम्मीदवार होंगे।

(vii) आवेदन–पत्र के साथ स्वप्रमाणित आधार कार्ड की छाया प्रति लगाना आवश्यक होगा।

(viii) अभ्यर्थी को मोबाइल/कम्प्यूटर के माध्यम से सूचना के आदान–प्रदान की जानकारी होनी चाहिए। इस हेतु उनके पास एन्ड्रायड/स्मॉर्ट फोन होना आवश्यक है।

4. चयन–प्रक्रिया

- मुख्य स्रोत व्यक्ति (Key Resource Person) के चयन हेतु राज्यस्तर पर विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जाएँगे।
- राज्य स्तर पर जिलावार पैनल तैयार कर संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) को उपलब्ध कराया जाएगा।
- जिलास्तर पर चयन के लिए निम्नवत् समिति गठित की जाती है :–

क्र0	पद	पदनाम
1.	अध्यक्ष	जिला पदाधिकारी
2.	सदस्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी
3.	सदस्य	जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एस0सी0/एस0टी0 वर्ग के पदाधिकारी
4.	सदस्य	जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक वर्ग के पदाधिकारी
5.	सदस्य सचिव	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता)

- राज्य स्तर से जिला को उपलब्ध कराये गये पैनल पर जिला स्तरीय समिति विचार करेगी। अभ्यर्थी के सभी प्रकार के प्रमाण–पत्रों और अन्य संबंधित कागजातों आदि की जाँच जिला स्तर पर की जाएगी।

- अभ्यर्थी का चयन मेधा–सूची के आधार पर किया जायेगा। मेधा–सूची में निम्न प्रकार से अंक दिये जाएँगे–
  - क. मैट्रिक – अधिकतम 30 अंक
  - ख. इंटर – अधिकतम 30 अंक
  - ग. स्नातक – अधिकतम 30 अंक

    (उपर्युक्त सभी शैक्षणिक योग्यता में 45 प्रतिशत से कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी को 10 अंक, 45 से 59 प्रतिशत तक को 20 अंक एवं 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक होने पर 30 अंक दिये जाएँगे। स्नातक या समकक्ष में प्रतिष्ठा के अभ्यर्थी का प्रतिष्ठा विषय में प्राप्त अंकों का प्रतिशत तथा सामान्य स्नातक अभ्यर्थी के लिए कुल विषयों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को लिया जाएगा।)
  - घ. स्नातकोत्तर या उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता – 10 अंक
- मैट्रिक, इंटर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर या समकक्ष के प्राप्तांक (प्रतिशत में) के आधार पर ऊपर दिये गये निर्धारित अंक देते हुए इसे जोड़कर मेधा–सूची तैयार की जाएगी।
- मेधा–सूची जिला के वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रकाशित की जाएगी तथा इस पर आपत्ति प्राप्त की जाएगी। मेधा–सूची पर आपत्ति प्राप्त करने की तिथि प्रकाशन–तिथि से 15 दिनों तक निर्धारित की जाएगी। आपत्ति–प्राप्ति के अंतिम दिवस से तीन दिनों के अंदर आपत्ति की जाँच कर लिखित निर्णय लिया जाएगा। संशोधित सूची कमेटी द्वारा अनुमोदित कराकर जिला के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। यह सूची 01 वर्ष के लिए वैध होगी।
- चयन पर दावा–आपत्ति होने की स्थिति में 15 दिनों के अंदर चयन के विरुद्ध प्रथम अपील संबंधित जिला पदाधिकारी के समक्ष की जा सकती है। प्रथम अपील के निर्णय से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में पुनः 15 दिनों के अंदर द्वितीय अपील प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/निदेशक, जन शिक्षा के समक्ष की जा सकती है, जिसका निराकरण 30 दिनों के अंदर किया जाएगा।
- समान मेधा अंक (प्राप्तांक) रहने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। समान अंक एवं समान उम्र होने पर अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार चयन किया जायेगा।
- अंतिम चयनित सूची से कोटिवार रिक्ति के अनुसार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा विहित प्रपत्र में अनुबंध आधारित चयन–पत्र निर्गत होगा (अनुलग्नक–ग)। चयन–सूची में सर्वाधिक अंक प्राप्त व्यक्ति की अनुपलब्धता/योगदान नहीं देने/दस्तावेज फर्जी पाये जाने की स्थिति में मेधा सूची के नीचे क्रम वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।
- चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन के पूर्व शपथ–पत्र एवं एकरारनामा दायर करना होगा कि वे भविष्य में कभी भी स्थायी नियोजन या वेतनमान की माँग नहीं करेंगे। यह नियुक्ति शुद्ध अस्थायी रूप से तीन वर्षों के लिए की जाएगी। उनके कार्य का सतत् मूल्यांकन किया जाएगा, उत्कृष्ट पाये जाने पर आगे भी उनकी सेवा जारी रखी जाएगी, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

5. प्रबोधन–भत्ता

प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह अनुश्रवण के लिये अधिकतम 20 दिनों के लिये 500/– रु0 प्रतिदिन की दर से यात्रा–भत्ता का भुगतान किया जाएगा। सरकार द्वारा किसी तरह के परिवर्तन किये जाने पर तदालोक में भुगतान किया जाएगा।

6. प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण

प्रत्येक मुख्य स्रोत व्यक्ति (Key Resource Person) का प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण राज्य स्तर पर किया जाएगा। प्रारंभिक प्रशिक्षण 7 (सात) दिनों का प्राप्त करने के पश्चात् ही योगदान मान्य समझा जाएगा, अन्यथा कार्य लेना–करना अवैध होगा।

7. मुख्य स्रोत व्यक्ति (के0आर0पी0) का कर्त्तव्य एवं दायित्व

- सभी मुख्य स्रोत व्यक्ति (Key Resource Person) अपने–अपने प्रखण्ड में साक्षरता कार्यक्रम का प्रबोधन, अनुश्रवण, प्रशिक्षण, योजना–निर्माण एवं कार्यान्वयन का कार्य जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त निदेश के आलोक में करेंगे। सभी केन्द्रों के संचालन, बच्चों की शिक्षा तथा महिला साक्षरता में प्रखण्ड की उपलब्धि (नामांकन, उपस्थिति, गुणवत्ता) उनके कार्य का लक्ष्य होगा।
- इनकी भूमिका जाँच करने/निरीक्षण करने की नहीं होगी, बल्कि समर्थन, अनुश्रवण की होगी। के0आर0पी0 अपने कार्य–क्षेत्र वाले प्रखण्ड के निर्धारित टोलों में संचालित साक्षरता केन्द्र एवं कोचिंग सेन्टर का अनुश्रवण एवं प्रबोधन करेंगे तथा शिक्षा सेवकों का उत्साहवर्द्धन कर उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। उनका यह दायित्व होगा कि उनके कार्य–क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले टोले के सभी बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाएँ तथा महिलाएँ साक्षरता प्राप्त कर जगरूक बनें एवं उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
- जन शिक्षा निदेशालय द्वारा समय–समय पर संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को प्रखण्ड स्तर पर संचालित करना, मासिक प्रतिवेदन भेजना, योजना–निर्माण, कार्यक्रम का अनुश्रवण इत्यादि इनका दायित्व होगा। कार्यक्रम के बेहतर संचालन हेतु के0आर0पी0 प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी (शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविका आदि) से समन्वय स्थापित कर कार्य करेंगे।
- प्रत्येक माह के अंत में के0आर0पी0 आगामी माह का अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम तथा माह की समाप्ति पर अपना मासिक भ्रमण दैनंदिनी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) को समर्पित करेंगे। जिला स्तर पर सभी प्रखण्डों के के0आर0पी0 से प्राप्त भ्रमण दैनंदिनी को समेकित कर निदेशालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

8. स्थानांतरण

प्रत्येक 03 वर्ष पर के0आर0पी0 का स्थानांतरण जिला स्तरीय समिति द्वारा जिले के दूसरे प्रखण्ड में किया जाएगा। आवश्यकतानुरुप/विशेष परिस्थिति में/प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत 03 वर्ष के भीतर भी के0आर0पी0 का स्थानांतरण जिले के दूसरे प्रखण्ड में किया जा सकता है।

9. नियोजन की अवधि एवं नियोजन समाप्त करने की प्रक्रिया

- मुख्य स्रोत व्यक्ति (Key Resource Person) का चयन 60 वर्ष की आयु या योजना की समाप्ति, जो पहले हो, तक कार्य किये जाने हेतु किया जाएगा। 60 वर्ष की आयु के पश्चात् उनसे कार्य नहीं लिया जाएगा तथा अवधि–विस्तार नहीं की जाएगी।
- प्रत्येक के0आर0पी0 के कार्यों का सतत् मूल्यांकन निर्धारित मापदंड पर वर्ष में दो बार किया जायेगा तथा उनकी रैंकिंग की जाएगी। लगातार दो बार कार्य उत्कृष्ट नहीं रहने पर चयन–मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इस हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) के0आर0पी0 से कारण–पृच्छा के बाद अपनी अनुशंसा पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जिला पदाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इन्हें चयन–मुक्त करने की कार्रवाई करेंगे।
- **निम्नांकित स्थितियों में भी उन्हें चयन–मुक्त किया जा सकेगा :–**
  - क. आपराधिक गतिविधि में संलग्न होने पर।
  - ख. शराब पीने/शराब बेचने के कार्य में शामिल होने पर तथा सरकार द्वारा प्रतिबंधित किसी कृत्य में शामिल पाये जाने पर।
  - ग. 30 दिन से अधिक बिना सूचना एवं बिना ठोस कारण अनुपस्थित रहने पर।
  - घ. समाज–विरोधी या अराजकतावादी गतिविधियों या कुकृत्य में शामिल होने पर।
  - ड. शरीर से पूरी तरह अक्षम या कार्य करने के लायक नहीं रहने की स्थिति में मेडिकल बोर्ड की जाँच के पश्चात् उन्हें 60 वर्ष से पूर्व सेवा–मुक्त किया जा सकेगा।

10. आवश्यक निदेश –

- मार्गदर्शिका के लागू होने से पूर्व के सभी निदेश, जो इससे भिन्न एवं इतर/विरोधी होंगे, निरस्त समझे जाएँगे।
- निर्गत मार्गदर्शिका पूर्व से कार्यरत के.आर.पी. पर भी लागू होगी।
- मार्गदर्शिका में आवश्यकतानुसार संशोधन विहित प्रक्रिया के द्वारा की जाएगी।
- नियमावली के अनुमोदनोपरान्त केवल रिक्त पदों पर ही के0आर0पी0 का चयन किया जाएगा। यदि भविष्य में कोई पद रिक्त होता है, तो पुनः इसी प्रक्रिया से के0आर0पी0 का चयन किया जाएगा।

*****

सं0–

अनुलग्नक– क

जन शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना

मुख्य स्रोत व्यक्ति (Key Resource Person)के नियोजन हेतु आवेदन--पत्र

कार्यालय द्वारा भरा जाएगा
निर्धारित जाति ....
आरक्षण (महिला) ....

आवेदित जिला का नाम–

पासपोर्ट आकार का स्व–अभिप्रमाणित फोटो चिपकाएँ।

1. आवेदक / आवेदिका का नाम ....
2. पिता / पति का नाम ....
3. माता का नाम ....
4. जाति ....कोटि ....
5. लिंग (महिला / पुरुष) ....
6. (क) जन्मतिथि दिन [|] माह [|] वर्ष [| | |]
   (ख) उम्र (दिनांक 01.04.2017 को) वर्ष [|] माह [|] दिन [|]
7. स्थायी निवास
   (क) गाँव / मुहल्ला ....
   (ख) पंचायत / वार्ड (शहरी) ....
   (ग) प्रखण्ड ....
   (घ) जिला ...., (च) राज्य ...., (छ) पिन कोड ....
   (ज) फोन / मोबाइल नं0 [| | | | | | | | |]
8. शैक्षणिक योग्यता --

योग्यता	विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय	वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत
मैट्रिक					
इंटर					
स्नातक					
स्नातकोत्तर					
अन्य					

घोषणा :– मेरी जानकारी और विश्वास में मेरे द्वारा उपर्युक्त सूचनाएँ सत्य हैं एवं असत्य पाए जाने पर मेरा चयन रद्द कर मेरे विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान–
दिनांक –

आवेदक का पूरा नाम

हस्ताक्षर

नोट– आवेदन–पत्र के साथ निम्न दस्तावेज की स्वयं–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें– 1. शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण–पत्र 2. आयु संबंधी वैध प्रमाण–पत्र 3. स्थायी आवासीय प्रमाण–पत्र (अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत) 4. आधार कार्ड।

✂---✂---✂

मुख्य स्रोत व्यक्ति (Key Resource Person) नियोजन के लिए आवेदन–पत्र की प्राप्ति–रसीद

श्री / सुश्री / श्रीमती ...., पिता / पति श्री ....,
(क) गाँव / मुहल्ला .... (ख) पंचायत / वार्ड (शहरी) ....
(ग) प्रखण्ड / नगर निकाय .... (घ) जिला .... का आवेदन–पत्र मुख्य स्रोत व्यक्ति (के.आर.पी.) के नियोजन हेतु दिनांक .... को प्राप्त किया। इन्होंनें जिला .... के लिए आवेदन दिया है जिसका क्र0 सं0 .... है।

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर एवं मुहर

अनुलग्नक– ख

जन शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना

मुख्य स्रोत व्यक्ति (Key Resource Person)_चयन : मेधा सूची प्रपत्र

जिला ....

क्र0 सं0	आवेदक / आवेदिका का नाम	पिता / पति का नाम	महिला / पुरुष	जन्म तिथि	जाति / कोटि	अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्राप्तांक का प्रतिशत एवं उसके आधार पर निर्धारित अंक										कुल प्राप्त अंक
						मैट्रिक		इंटर		स्नातक		स्नातकोत्तर		अन्य		
						प्राप्तांक (प्रतिशत में)	निर्धारित अंक	प्राप्तांक (प्रतिशत में)	निर्धारित अंक	प्राप्तांक (प्रतिशत में)	निर्धारित अंक	प्राप्तांक (प्रतिशत में)	निर्धारित अक	प्राप्तांक (प्रतिशत में)	निर्धारित अंक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता)

जिला शिक्षा पदाधिकारी

जन शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना

श्री / श्रीमती : ....

पिता / पति का नाम : ....

ग्राम : ....

पोस्ट : ....

पंचायत / वार्ड समूह (कलस्टर / शहरी): ....

प्रखण्ड / नगर निकाय : ....

अनुमंडल : .... जिला : ....

आपको सूचित किया जाता है कि जन शिक्षा निदेशालय, पटना की विज्ञप्ति संख्या–.............. दिनांक–.......................... के आलोक में जिला .... के लिए प्रकाशित अंतिम चयन सूची के आधार पर आपका चयन "मुख्य स्रोत व्यक्ति (के.आर.पी.)" के रूप में किया जाता है। वर्त्तमान में आपका पदस्थापन प्रखण्ड .... में किया जाता है। के0आर0पी0 के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित मार्ग–निर्देशिका में दिये गये निदेश, नियम एवं शर्त्तों के अनुरूप कार्य करना आपका दायित्व होगा।

अनुरोध है कि आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर आवंटित प्रखण्ड में योगदान देना सुनिश्चित करें, अन्यथा समझा जाएगा कि आप इस कार्य को करने में रुचि नहीं रखते हैं। ऐसी स्थिति में पैनल के दूसरे व्यक्ति का चयन कर लिया जाएगा।

स्थान : ....

दिनांक : ....

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता)

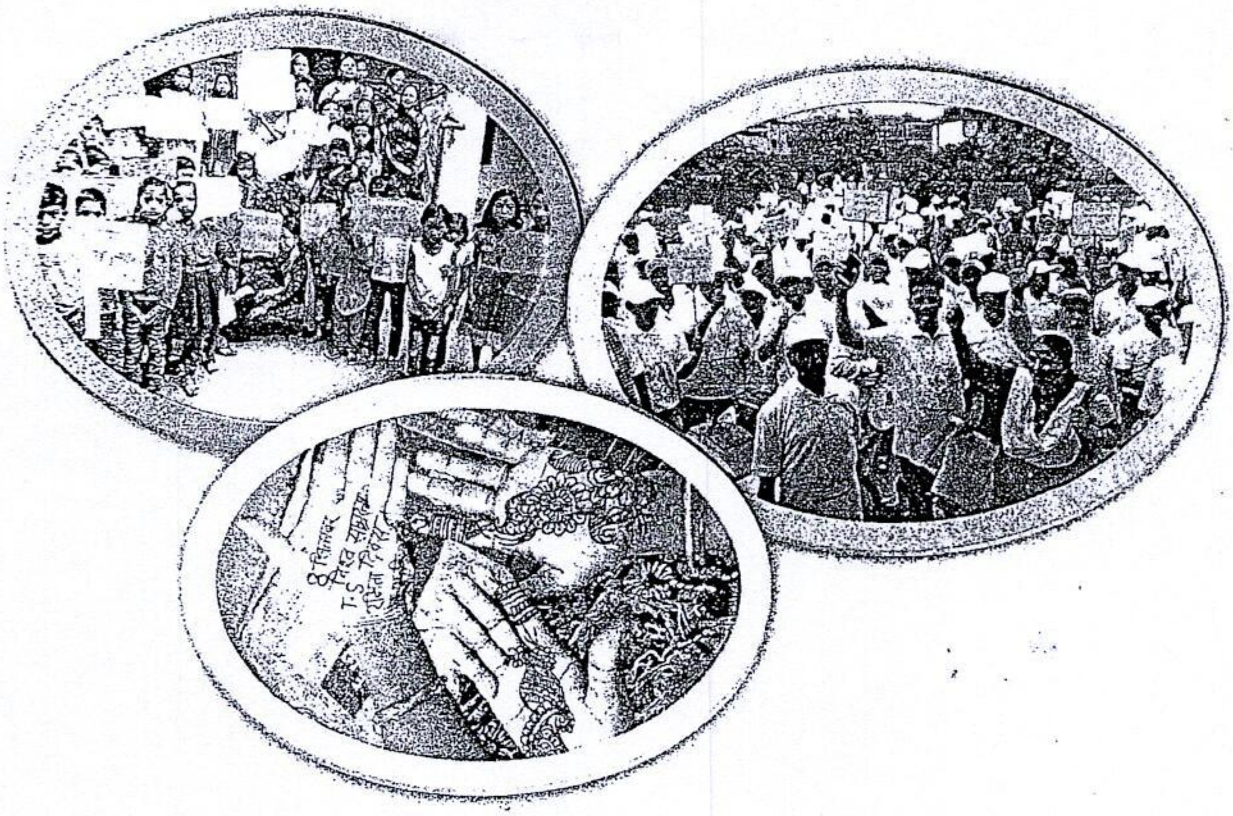

अपनी शिक्षा चलो बाँट आएँ

खुद पढ़ें, सबको पढ़ना सिखाएँ
अपनी शिक्षा चलो बाँट आएँ।
तोड़ लाएँगे सारे सितारे
आओ, जुगनू पकड़ लाएँ सारे
उनसे हर घर में दीपक जलाएँ
अपनी शिक्षा चलो बाँट आएँ।.................
कितना अज्ञान दुनिया में देखो
दोनों हाथों में इनको समेटो,
आओ शिक्षा की फसलें उगाएँ
अपनी शिक्षा चलो बाँट आएँ।............
सबके होठों पे कलियाँ खिली हों
सबकी पलकों में खुशियाँ सजी हों,
मिलके शिक्षा के सब गीत गाएँ।............

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

संकल्प

विषय :– वित्तीय वर्ष 2023–24 में अक्टूबर, 2023 से शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के वर्तमान मानदेय 11000/– रु० प्रतिमाह से वृद्धि कर 22000/– रु० प्रतिमाह करने तथा राज्य सरकार द्वारा EPF हेतु देय अनिवार्य समानुपातिक अंशदान की वृद्धि के साथ ही 01 जुलाई से प्रतिवर्ष 05 प्रतिशत् की वार्षिक वृद्धि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा समाज के अभिवंचित वर्ग के बच्चों एवं महिलाओं के शिक्षा से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण योजना महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना चलाई जा रही है। इस योजना से अपेक्षा है कि महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग के बच्चे प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करेंगे, असाक्षर महिलाएँ साक्षर बनेंगी और ये समाज के मुख्य धारा में शामिल होंगी। इस स्कीम में कार्यरत सभी शिक्षा सेवक महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग से ही आते हैं और उन्हीं के बीच काम करते हैं।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य के सभी 20000 महादलित, दलित टोलों एवं 10000 तालीमी मरकजों में अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग समुदायों की 15–45 आयुवर्ग की सभी महिलाओं को बुनियादी साक्षरता प्रदान की जा रही है। तथा प्रतिवर्ष 06–14 आयुवर्ग के इन समुदायों के बच्चों को विद्यालयीय शिक्षा से जोड़ा जा रहा है।

(क) इस स्कीम अन्तर्गत कार्यरत सभी शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) पूर्व से निर्धारित कार्य के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य इनके द्वारा किया जाएगा –

(i) विद्यालय नहीं आनेवाले बच्चों (Out of School) को चिन्हित कर विद्यालय पहुँचाना।

(ii) Dropout बच्चों को चिन्हित करके विद्यालय पहुँचाना।

E:\Rajesh Kr. Shastri\IMP\Sankalp\Sankalp.doc

(iii) जो बच्चे नियमित तरीके से विद्यालय नहीं आते हैं उनको नियमित तरीके से विद्यालय लाना।

(iv) इनसे सम्बद्ध विद्यालयों में सभी बच्चों की उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत् सुनिश्चित करना।

(v) किसी शिक्षक की अनुपस्थिति अथवा अवकाश या किसी अन्य समस्या के चलते शिक्षकों की कमी होने पर इन्हें कक्षा–1 एवं कक्षा–2 का पठन–पाठन का कार्य करना।

(vi) सम्बद्ध विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना में सहयोग करना।

(vii) मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना, खेलकूद, पर्यावरण सम्बन्धी गतिविधि एवं Extra-Curricular गतिविधियों में सहयोग प्रदान करना।

(viii) प्रत्येक दिन प्रखण्ड संसाधन केन्द्र (BRC) अथवा जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा चयनित स्थल/नोडल केन्द्र पर प्रत्येक संध्या को पहुँचकर दिनभर की गतिविधियों के सम्बन्ध में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी को VC के माध्यम से आंकड़े भेजना।

(ix) बच्चों के चिकित्सा जाँच में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

(x) शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय दिये गये कार्यों एवं दायित्व का निर्वहन करना।

3. वर्त्तमान में राज्य स्कीम अन्तर्गत बिहार राज्य में पूर्व से संचालित महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के तहत शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को मासिक मानदेय 11000/– (ग्यारह हजार) रु० दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इन्हें EPF का लाभ दिया जा रहा है। जिसके तहत मानदेय का 13 प्रतिशत् अर्थात् 1430/– रु० राज्य सरकार द्वारा मानदेय के अतिरिक्त दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में अक्टूबर, 2023 से शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के वर्त्तमान मानदेय 11000/– रु० प्रतिमाह से वृद्धि कर 22000/– रु० प्रतिमाह करने तथा राज्य सरकार द्वारा EPF हेतु देय अनिवार्य

समानुपातिक अंशदान की वृद्धि कें साथ ही 01 जुलाई से प्रतिवर्ष 05 प्रतिशत् की वार्षिक वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है। वैसे शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को 05 प्रतिशत् की वार्षिक वृद्धि देय होगी जिन्होंने न्यूनतम एक वर्ष की निर्बाध सेवा दी हो।

4. दिनांक–19.09.2023 को मद सं०–45 द्वारा मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

(के० के० पाठक)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : 13/यो० 02–01/2019...1602.../ पटना, दिनांक–...21.09.2023
प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के साधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प की 100 प्रतियाँ इस विभाग को भेजने की कृपा की जाए।

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : 13/यो० 02–01/2019...1602.../ पटना, दिनांक–...21.09.2023/
प्रतिलिपि :– सभी विभाग के प्रधान सचिव/विभागाध्यक्ष/सचिव/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : 13/यो० 02–01/2019...1602.../ पटना, दिनांक–...21.09.2023/
प्रतिलिपि :– अधीक्षक, ई–गजट, वित्त विभाग को ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ संकल्प की दो प्रतियाँ एवं सी० डी० के साथ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव।

E:\Rajesh Kr. Shastri\IMP\Sankekh\Sankalp.doc

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग

आदेश।

पटना, दिनांक- 08/9/2020,

संख्या-13/वि० 03-01/2016 1390 /विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त अनुशंसा करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-3/एम०-19/2015 सा०प्र०-6161, दिनांक 24.04.2015 द्वारा किया गया। समिति ने प्रत्येक योजना/विभाग के तहत कार्यरत प्रत्येक श्रेणी के संविदा कर्मियों के संबंध में अनुशंसाएँ दी है, जिनमें वास्तव में समिति द्वारा दी गई नीतिगत अनुशंसाओं में से कौन-कौन सी अनुशंसाएँ विभिन्न कर्मियों के संबंध में लागू होगी, का उल्लेख है।

समिति की अनुशंसाओं का क्रियान्वयन अनुमोदन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत ज्ञापांक-12534 दिनांक 17.09.2018 द्वारा संकल्प जारी किया गया है। इसके अनुसार समिति की अनुशंसाओं को लागू करने का संकल्प लिया गया। उक्त उच्च स्तरीय समिति की कंडिका-16 में टोला सेवक एवं तालीमी मरकज शिक्षा सेवी के संबंध में अनुशंसाएँ की गई है। समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना में कार्यरत शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) की सेवा से संबंधित निम्नांकित बिन्दुओं के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है :-

1. <u>केन्द्र संचालन अवधि</u> :- कार्यरत शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) की कार्यावधि प्रातः 06 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक की होगी। विद्यालयों के प्रातःकालीन होने से तदनुरूप समय में परिवर्तन होगा।

2. <u>सेवा अभिलेख का संधारण</u> – उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा की कंडिका-05 (घ) के आलोक में शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के सेवा अभिलेख का संधारण जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा की जायेगी। सेवा अभिलेख सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित स्वरूप में संधारित होगा।

3. <u>अवकाश की अनुमान्यता</u> :- उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा की कंडिका-03 (ग) के आलोक में शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के अवकाश संबंधी स्वीकृति निम्नवत् देय होगी-

(क) सप्ताह में 06 दिन कार्य दिवस होने की स्थिति में 01 वर्ष में 16 (सोलह) दिन आकस्मिक अवकाश देय होगा।

(ख) 01 वर्ष में 16 दिन (सेवा के दूसरे वर्ष से लागू) अर्जित अवकाश देय होगा एवं 60 (साठ) दिन अधिकतम अवकाश संचित किया जा सकता है।

(ग) प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम-2017 के तहत देय मातृत्व अवकाश की सुविधा उन सभी महिला शिक्षा सेवकों को उपलब्ध होगी, जो पिछले 12 महिने में 80 (अस्सी) दिनों के लिए कार्य कर चुकी है। कुल-26 सप्ताह का प्रसूति अवकाश देय होगा। प्रथम 08 सप्ताह अनुमानित प्रसव तिथि के पूर्व तथा शेष 18 सप्ताह शिशु के जन्म के बाद अनुमान्य है। यह 02 (दो) बच्चों तक ही मान्य होगा।

(64)

Scanned with CamScanner

(घ) पुरुष शिक्षा सेवकों को 15 (पन्द्रह) दिन (02 बच्चों तक) तक पितृत्व अवकाश देय होगा।

इसके अतिरिक्त शिक्षा सेवकों को पूर्व में देय अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ मार्गदर्शिका के अनुसार पूर्ववत जारी रहेगी।

उपर्युक्त निदेश संबंधी प्रस्ताव पर शासन की सहमति प्राप्त है।

8.9.20

(कुमार रामानुज)
निदेशक, जन शिक्षा-सह-अपर सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-13/वि० 03-01/2016 1390 / पटना, दिनांक- 09/9/2020 /

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता)/सभी सदस्य, राज्य संसाधन समूह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8.9.20

निदेशक, जन शिक्षा-सह-अपर सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

(65)

Scanned with CamScanner

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।
(जन शिक्षा निदेशालय)

संख्या–13/वि० 03–01/2016........................./महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के अधीन कार्यरत महिला शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को प्रत्येक माह 02 (दो) दिनों का विशेष अवकाश दिए जाने के सम्बन्ध में विभिन्न स्तर से अभ्यावेदन/अनुरोध प्राप्त हुए हैं। प्राप्त अनुरोध के समीक्षोपरान्त विभाग द्वारा महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के अधीन कार्यरत महिला शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को प्रत्येक माह 02 (दो) दिनों का विशेष अवकाश दिए जाने का निर्णय लिया गया है। विशेष अवकाश की स्वीकृति प्रत्येक माह में एक ही बार दो लगातार दिनों के लिए दी जाएगी।

2. विशेष अवकाश सभी महिला शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को पंचांग वर्ष में अनुमान्य आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त देय होगा।
3. विशेष अवकाश के साथ–साथ पहले अथवा बाद में कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
4. यह आदेश निर्गत तिथि से लागू माना जाएगा।
5. उक्त आदेश पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

(अनिल कुमार)
विशेष सचिव–सह–निदेशक, जन शिक्षा।

ज्ञापांक–13/वि० 03–01/2016 553 / पटना, दिनांक– 19-06-2025/

प्रतिलिपि – सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता)/सभी सदस्य, राज्य संसाधन व्यक्ति/सभी मुख्य स्रोत व्यक्ति एवं सभी शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार)
विशेष सचिव–सह–निदेशक, जन शिक्षा।

ज्ञापांक–13/वि० 03–01/2016 553 / पटना, दिनांक– 19-06-2025/

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार)
विशेष सचिव–सह–निदेशक, जन शिक्षा।

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

संकल्प

संचिका सं०–13/यो० 01–01/2025 964 / पटना, दिनांक– 04/10/2025

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 से राज्य योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य में पूर्व से संचालित महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के तहत कार्यरत शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को वर्तमान में प्रतिवर्ष शिक्षण सामग्री मद में दी जा रही राशि 3405/- (तीन हजार चार सौ पाँच रु०) को बढ़ाकर 12000/- (बारह हजार रु०) (एक हजार रु० प्रतिमाह की दर से) प्रति केन्द्र करने एवं डिजिटल गतिविधियों के सम्पादन हेतु स्मार्ट फोन क्रय करने के लिए प्रत्येक शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को सहायता राशि के रूप में एक मुश्त 10000/- (दस हजार रु०) के भुगतान पर स्वीकृति के सम्बन्ध में।

बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा समाज के अभिवंचित वर्ग के बच्चों एवं महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण योजना महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना चलाई जा रही है। इस योजना से अपेक्षा है कि महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग के बच्चे प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करेंगे, असाक्षर महिलाएँ साक्षर बनेंगी और ये समाज के मुख्य धारा में शामिल होंगी। इस स्कीम में कार्यरत सभी शिक्षा सेवक महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग से ही आते हैं और उन्हीं के बीच काम करते हैं।

2. इस योजना के अन्तर्गत राज्य के 20000 महादलित, दलित टोलों एवं 10000 तालीमी मरकजों में अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा तालीमी मरकजों में इस समुदायों की 15–45 आयुवर्ग की सभी असाक्षर महिलाओं को बुनियादी साक्षरता प्रदान की जा रही है तथा 06–14 आयुवर्ग के वर्णित समुदायों के बच्चों को विद्यालयीय शिक्षा से जोड़ा जा रहा है।

3. इस योजना अन्तर्गत कार्यरत सभी शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को साक्षरता केन्द्रों का सुचारू रूप से संचालन करने एवं पर्याप्त मात्रा में केन्द्रों पर शिक्षण हेतु आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष शिक्षण सामग्री मद में दी जा रही राशि 3405/- (तीन हजार चार सौ पाँच रु०) को बढ़ाकर 12000/- (बारह हजार रु०) प्रति केन्द्र किया गया है। शिक्षण सामग्री मद में दी जानेवाली राशि से केन्द्रों पर नामांकित शिशिक्षुओं के लिए अपेक्षित मात्रा में दरी, कॉपी–पेन्सिल, ब्लैकबोर्ड आदि की समुचित व्यवस्था की जाएगी।

(ख) शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को ई-शिक्षा कोष पर उपस्थिति बनाने तथा उनके कर्त्तव्यों के रूप में निम्न कार्यों का साक्ष्य सृजित करने यथा- अनुश्रवण, कोचिंग कक्षा एवं साक्षरता कक्षाओं के संचालन एवं अन्य सम्यक गतिविधियों की पाँच-पाँच फोटो प्रतिदिन ई-शिक्षा कोष पर अपलोड करने आदि डिजिटल गतिविधियों के सम्पादन हेतु स्मार्ट फोन क्रय करने के लिए सहायता राशि के रूप में एक मुश्त 10000/- (दस हजार रु०) दिए जाऐंगे। किसी भी स्थिति में शिक्षा सेवकों को प्रदान की जा रही सहायता राशि से अन्यून राशि का स्मार्ट फोन क्रय नहीं किया जाएगा। साथ ही स्मार्ट फोन क्रय करने का प्रमाण मूल विपत्र सहित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) कार्यालय में राशि प्राप्त होने के एक माह के अन्दर समर्पित करना होगा। स्मार्ट फोन के रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) की होगी।

(ग) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) के द्वारा जिला अन्तर्गत सभी शिक्षा सेवकों को स्मार्ट फोन क्रय हेतु प्रत्येक शिक्षा सेवक (शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को भुगतान की गई सहायता राशि एवं शिक्षा सेवकों द्वारा उसके क्रम में खरीदे गए मोबाईल तथा विपत्र का विवरण अलग भण्डार पंजी में संधारित करेंगे। इस मद में प्रदान की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध कराने की जवाबदेही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) की होगी।

4. उपरोक्त पर दिनांक-03.10.2025 को मद सं०-82 द्वारा मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

(दिनेश कुमार)
सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 13/यो० 01-01/2025 964 / पटना, दिनांक- 04/10/2025/

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के साधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प की 100 प्रतियाँ इस विभाग को भेजने की कृपा की जाए।

सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 13/यो० 01-01/2025 964 / पटना, दिनांक- 04/10/2025/

प्रतिलिपि :- सचिव, शिक्षा विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता)/सभी शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 13/यो० 01-01/2025 964 / पटना, दिनांक- 04/10/2025 /

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, ई-गजट, वित्त विभाग को ई-गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ संकल्प की दो प्रतियाँ एवं सी० डी० के साथ प्रेषित।

सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 13/यो० 01-01/2025 964 / पटना, दिनांक- 04/10/2025 /

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त सभी सम्बन्धितों को ई-मेल के माध्यम से संकल्प की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

सचिव, शिक्षा विभाग।

बिहार सरकार,
मानव संसाधन विकास विभाग,
(प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा)।

संकल्प

पटना, दिनांक मई, 2005

6-14 वर्ष के वैसे बच्चे जो किसी सरकारी विद्यालय मे पढने नही जाते थे, उन्हें प्रारंभिक शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम के रूप मे अन्य राज्यों की तरह बिहार राज्य मे भी अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित था। इस कार्यक्रम मे होने वाले व्यय केन्द्र और राज्य सरकार निर्दिष्ट अनुपात में व्यय किया करते थे। भारत सरकार ने दिनांक 01.04.2001 के प्रभाव से अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम समाप्त करने तथा इस लक्ष्य समूह के लिए शिक्षा गारंटी कार्यक्रम/वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा कार्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया। फलस्वरूप अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के निम्नांकित कर्मियों को 01.04.2001 के प्रभाव से छटनी की दी गयी :-

क्रमांक	पदनाम	विहित योग्यता	वेतनमान	छटनीग्रस्त की संख्या
1	2	3	4	5
1.	परियोजना अधिकारी	स्नातक	5000-8000	316
2.	लिपिक-सह-लेखापाल	मैट्रिक	4000-6000	346
3.	लिपिक-सह-टंकक	मैट्रिक	4000-6000	364
4.	आशुटंकक	मैट्रिक (आशुलेखन एवं टंकण)	4000-6000	01
5.	चालक	साक्षर	3050-4590	30
6.	आदेशपाल	साक्षर	2550-3200	370
	कुल			1427

2. उपर्युक्त वर्णित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के 1427 छंटनीग्रस्त कर्मियों के समायोजन का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन था। राज्य सरकार द्वारा छंटनीग्रस्त कर्मियो का विभिन्न विभागों में उपलब्ध रिक्तियो के विरूद्ध निम्नांकित रूप में समायोजन करने का निर्णय लिया गया है :-

(क) समायोजन उसी पद पर होगा जिस पद के लिए विहित शैक्षणिक अहर्ता संबंधित छंटनीग्रस्त कर्मचारी के पास हो, इसके लिए कोई नया पद सृजित नही किया जाएगा।

(ख) जिस वेतनमान मे वे छंटनीग्रस्त हुए हैं उसी वेतनमान में समायोजन होगा। पद/रिक्ति की अनुपलब्धता की स्थिति में और छंटनीग्रस्त कर्मचारी द्वारा लिखित सहमति दिये जाने पर उन्हें न्यूनतर वेतनमान में भी समायोजित किया जायेगा।

(ग) आरक्षण रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा। जो छटनीग्रस्त कर्मचारी जिस आरक्षण श्रेणी के होंगे उसी श्रेणी के रोस्टर बिन्दु के विरूद्ध उनका समायोजन होगा।

(घ) समायोजन के लिए अधिकतम उम्र सीमा क्षांत की जायगी।

(च) कार्मिक एव प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श के आलोक मे उनके संकल्प संख्या 209 दिनांक 8.7.92 में अंकित छंटनीग्रस्त कर्मचारियों की परिभाषा के अनुसार छंटनीग्रस्त कर्मचारियो का आत्मभारित पैनल जन शिक्षा निदेशालय तैयार करेगा। विधि परामर्श के परामर्श के आलोक मे सभी 1427 कर्मियों को छटनीग्रस्त माना गया है।

(छ) विभिन्न विभागों में समायोजन के कम में सीधी भर्ती पर रोक नहीं लगाई जायेगी। जन शिक्षा निदेशालय विभिन्न विभागों में समायोजन हेतु पदों को चिन्हित कराने की कार्रवाई करेगा।

277

(ज) चिन्हित पदों पर समायोजन [illegible] बिहार कर्मचारी चयन आयोग की सहमति की आवश्यकता नहीं है।

(झ) रिक्ति की उपलब्धता के अनुसार [illegible] समायोजन द्वारा नियुक्ति [illegible] का अनुमोदन प्राप्त कर की जायेगी। ऐसे अनुमोदन के लिए महामहिम राज्यपाल या राज्य [illegible] द्वारा मुख्य सचिव को प्राधिकृत किया जाना आवश्यक होगा।

(ञ) छँटनीग्रस्त कर्मचारियों का समायोजन नई नियुक्ति समझी जायेगी। छँटनीग्रस्त होने के पूर्व [illegible] के आधार पर उन्हें वरीयता का लाभ अनुमान्य नहीं होगा, परन्तु छँटनीग्रस्त होने की पूर्व की सेवा [illegible] प्रयोजनार्थ दी जायेगी।

(ट) रिक्तियों की अनुपलब्धता के कारण जिन छँटनीग्रस्त कर्मचारियों का समायोजन तत्काल [illegible] उनकी सूची संधारित कर अगले पाँच वर्षों में पद रिक्त होने पर उनके समायोजन की कार्रवाई की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(विजय प्रकाश)
सचिव,
प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा

ज्ञापांक 14/स०1-08/2000-582 /पटना, दिनांक 20.05.2005

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रण [illegible] मुद्रणालय, पटना/ अधीक्षक, सचिवालय, मुद्रणालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विजय प्रकाश)
सचिव,
प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा।

ज्ञापांक – 582 /पटना, दिनांक – 20.05.2005

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(विजय प्रकाश)
सचिव,
प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा।

ज्ञापांक – 582 /पटना, दिनांक 20.05.2005

प्रतिलिपि :– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप–विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय उप–शिक्षा निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/सभी जिला जन शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विजय प्रकाश)
सचिव,
प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा।

ज्ञापांक – 582 /पटना, दिनांक – 20.05.2005

प्रतिलिपि :– निदेशक, जन शिक्षा, बिहार, [illegible]/निदेशक प्राथमिक शिक्षा/ निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/ निदेशक, प्रशासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विजय प्रकाश)
सचिव,
प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा।

(850)

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग।
संकल्प

पटना, दिनांक–12 जनवरी, 2010

विषय :– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या–1458/88, 13893/01 एवं 8110/2001 में पारित आदेश के अनुपालन में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अधीन मानदेय आधारित भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षकों को मानव संसाधन विकास विभाग सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन लिपिकीय कोटि के विधिवत स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरूद्ध नयी नियुक्ति के माध्यम से समायोजन करने के सम्बन्ध में।

बिहार राज्य में वर्ष 1980-81 में 6-14 आयुवर्ग के ऐसे बच्चे जिन्हें औपचारिक शिक्षा उपलब्ध नहीं करायी गयी थी उन्हें साक्षर बनाने के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ की गयी। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अधीन केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु मानदेय पर पर्यवेक्षकों का चयन किया गया था। कालान्तर में ऐसे व्यक्तियों से भी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का सर्वेक्षण कराया गया जो वयस्क शिक्षा कार्यक्रम के अधीन विधिवत वेतनमान में नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में प्रमण्डलीय आयुक्तों की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा चयनित किये गये थे। परन्तु वयस्क शिक्षा पर्यवेक्षक का पद रिक्त नहीं रहने के कारण उनकी नियुक्ति वयस्क शिक्षा पर्यवेक्षक के पद पर नहीं की जा सकी थी। कालान्तर में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अधीन केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु मानदेय पर कार्य करने वाले पर्यवेक्षकों के संघ द्वारा समान काम समान वेतन को आधार बनाकर माननीय उच्च न्यायालय पटना में याचिका संख्या–1458/88 एवं अन्य कतिपय याचिकायें तथा अवमाननावाद दायर की गयी। उक्त याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षकों को सरकारी सेवा में समायोजन हेतु समय–समय पर पारित आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के वैसे पर्यवेक्षकों को जिनकी सूची जिलों में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार की गयी है, उक्त सूची के पर्यवेक्षक जो कम से कम तीन वर्षों तक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण का कार्य किये हैं एवं पूर्व में जिनका समायोजन प्राथमिक शिक्षक के पद पर नहीं किया जा सका है तथा जिनकी सेवा निवृत्ति की आयु शेष है, वैसे 1863 पर्यवेक्षकों को मानव संसाधन विकास विभाग सहित राज्य सरकार के अन्य विभागों में लिपिकीय कोटि के विधिवत् स्वीकृत एवं रिक्त पद के विरूद्ध निम्नलिखित रूप में समायोजित करने का निर्णय लिया गया है:–

(क) सरकारी सेवा में समायोजन वैसे व्यक्तियों का किया जायेगा, जिनके द्वारा कम–से–कम तीन वर्ष अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षक के रूप में कार्य किया गया हो तथा समायोजन उसी पद पर होगा जिस पद के लिए विहित शैक्षणिक अहर्ता सम्बन्धित व्यक्तियों के पास हो, इसके लिए कोई नया पद सृजित नहीं किया जाएगा।

(ख) लिपिकीय कोटि के पद/रिक्ति की अनुपलब्धता की स्थिति में सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा लिखित सहमति दिये जाने पर उन्हें न्यूनतम वेतनमान में भी समायोजित किया जायेगा। अर्थात् लिपिकीय पद की अनुपलब्धता की स्थिति में उससे न्यून रिक्त पदों पर भी समायोजन किया जायेगा।

(ग) आरक्षण रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा। जो व्यक्ति जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे उसी श्रेणी के रोस्टर बिन्दु के विरूद्ध उनका समायोजन होगा।

(घ) समायोजन के लिए अधिकतम उम्र सीमा क्षांत की जायेगी।

(च) चिन्हित पदों को समायोजन द्वारा भरने में बिहार कर्मचारी चयन आयोग की सहमति की आवश्यकता नहीं है।

D:\Rajesh\N.F.E\N.F.E. Sankalp.doc\Abs

27
12-1-2010

(854)

(छ) नियुक्ति के लिए तैयार किये गये पैनल से विभिन्न विभागों को उनके यहाँ उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग का अनुमोदन प्राप्त कर नियुक्ति के लिए नाम भेजा जायेगा। तत्पश्चात् सम्बन्धित विभाग अपने स्तर से नियुक्ति की कार्रवाई करेगी।

(ज) सम्बन्धित व्यक्तियों का समायोजन नई नियुक्ति के माध्यम से किया जायेगा तथा समायोजित पद के न्यूतम प्रकम पर वेतन का भुगतान किया जायेगा।

(झ) रिक्तियों की अनुपलब्धता के कारण जिन छँटनीग्रस्त कर्मचारियों का समायोजन तत्काल नहीं हो पायेगा उनकी सूची संधारित कर अगले पाँच वर्षों में पद रिक्त होने पर उनके समायोजन की कार्रवाई की जायेगी।

अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षकों को उपर्युक्त के अनुसार समायोजन की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निदेशक, जन शिक्षा, बिहार, पटना नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

(अंजनी कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–13/मु०–03/2000 27 /

पटना, दिनांक– 12-1-2010

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रण भंडार एवं प्रकाशन, गुलजारबाग, पटना/अधीक्षक, सचिवालय, मुद्रणालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अंजनी कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–13/मु०–03/2000 27 /

पटना, दिनांक– 12-1-2010

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(अंजनी कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–13/मु०–03/2000 27 /

पटना, दिनांक– 12-1-2010

प्रतिलिपि :– सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/सभी जिला जन शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अंजनी कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–13/मु०–03/2000 27 /

पटना, दिनांक– 12-1-2010

प्रतिलिपि :– निदेशक, जन शिक्षा, बिहार, पटना/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक, प्रशासन/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण/निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अंजनी कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।
संकल्प

पटना, दिनांक 27-04-17

विषय :– माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल०पी०ए० संख्या–1489/2011 एवं सिविल रिव्यू संख्या–344/2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस०एल०पी० संख्या–32079/2015 में पारित आदेश के अनुपालन में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को शिक्षा विभाग सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन समूह–'घ' के विधिवत स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरूद्ध नयी नियुक्ति के माध्यम से समायोजित करने के संबंध में।

बिहार राज्य में वर्ष 1980–81 में 06–14 आयुवर्ग के ऐसे बच्चे जिन्हें औपचारिक शिक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई थी, को साक्षर बनाने के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया था। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत पर्यवेक्षकों का समायोजन विभिन्न विभागों के अधीन तृतीय वर्ग के विधिवत स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर संकल्प संख्या–27 दिनांक 12.01.2010 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा कर लिया गया है। इसी आधार पर लगातार अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के द्वारा भी समायोजन की माँग की जा रही थी।

इसी विषय पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर एल0पी0ए0 संख्या–1489/2011 एवं सिविल रिव्यू संख्या–344/2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 संख्या–32079/2015 में पारित आदेश के आलोक में भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को समायोजित करने हेतु माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में शर्तें निर्धारित करते हुए निर्धारित शर्तों का पूर्ण अनुपालन करने वाले भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों की वास्तविक संख्या तथा पहचान स्थापित करने के लिये सभी जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक चार सदस्यी कमिटि का गठन प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के आदेश संख्या–934 दिनांक–14.04.16 द्वारा किया गया था। कालान्तर में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में समायोजन हेतु निर्धारित शर्तों को संशोधित करते हुए प्रधान सचिव के आदेश संख्या–2121 दिनांक 28.09.2016 के द्वारा जिलास्तरीय कमिटि को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।

राज्य के सभी 38 जिलों से जिलास्तरीय कमिटि द्वारा कुल 4560 (चार हजार पाँच सौ साठ) व्यक्तियों की सूची जो समायोजन हेतु निर्धारित शर्तों का पूर्ण अनुपालन करते हैं, को समायोजित करने के अनुशंसा के साथ विभाग को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में कई अन्य सदृश्य अवमाननावाद दायर हैं जो सुनवाई हेतु माननीय न्यायालय में सूचीबद्ध है। इनमें पारित आदेश के फलाफल से समायोजन हेतु उपलब्ध अनुदेशकों की संख्या बढ़

सकती है। सभी जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सेवानिवृति तिथि के क्रम में निदेशालय के स्तर पर एक समेकित सूची/पैनल तैयार किया जायेगा और इसी पैनल से विभिन्न विभागों को उनके यहाँ उपलब्ध समूह–'घ' की रिक्ति के विरुद्ध नयी नियुक्ति के माध्यम से निम्नलिखित रुप में समायोजित करने का निर्णय लिया गया है:–

(क) सरकारी सेवा में समूह–'घ' के रिक्त पदों पर जिलास्तरीय समिति से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर वैसे अनुदेशकों का समायोजन किया जायेगा, जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु शेष है तथा जो दिनांक–26.02.2016 तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद में स्पष्ट petitioner होने के साथ–साथ लगातार तीन वर्षों तक अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक के रुप में कार्यरत रहे हों।

(ख) समायोजन के लिए समूह–'घ' पर सीधी नियुक्ति हेतु विहित आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अर्थात् माध्यमिक या समकक्ष उत्तीर्ण व्यक्ति ही योग्य होंगे। उच्चतर योग्यता धारण करने के आधार पर किसी को समूह–'घ' से उच्च वर्ग में समायोजित किये जाने का दावा मान्य नहीं होगा। समायोजन राज्य सरकार द्वारा समूह–'घ' के स्वीकृत पदों के विरुद्ध उपलब्ध रिक्त पदों पर ही किया जायेगा, इसके लिये कोई नया पद सृजित नहीं किया जायेगा।

(ग) समायोजन के क्रम में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा, जो व्यक्ति जिस आरक्षण श्रेणी के होंगे, उसी श्रेणी के रोस्टर बिंदु के विरुद्ध उनका समायोजन होगा।

(घ) समायोजन के लिए अधिकतम उम्र सीमा क्षांत की जायेगी।

(ङ) नियुक्ति के लिए तैयार किये गये पैनल से विभिन्न विभागों को उनके यहाँ उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त कर नियुक्ति के लिए नाम निदेशक, जन शिक्षा के स्तर से भेजा जायेगा, तत्पश्चात् संबंधित विभाग अपने स्तर से नयी नियुक्ति की कार्रवाई करेगा।

(च) संबंधित व्यक्तियों का समायोजन नयी नियुक्ति के माध्यम से किया जायेगा तथा समायोजित पद के न्यूनतम प्रकम पर वेतन का भुगतान किया जोयगा। समायोजित व्यक्तियों पर राज्य में प्रवृत नयी पेंशन योजना लागू होगी तथा पूर्व की सेवा के आधार पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ अनुमान्य नहीं किया जा सकेगा।

(छ) ग्रेडेशन/पैनल सेवानिवृति के तिथि के अनुसार तैयार किया जायेगा। जिनकी उम्र सेवानिवृति के सबसे नजदीक हैं उनका समायोजन पहले करते हुए इसी क्रम में नियुक्ति/समायोजित करने की कार्रवाई की जायेगी।

(ज) रिक्तियों के अनुपलब्धता के कारण नियुक्ति के लिये तैयार किये गये पैनल से जिन व्यक्तियों का समायोजन तत्काल नहीं हो पायेगा उनकी सूची संधारित कर अगले 5 वर्षों में रिक्त पद उपलब्ध होने पर उनके समायोजन की कार्रवाई की जायेगी।

अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को उपर्युक्त के अनुसार समायोजित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निदेशक, जन शिक्षा, बिहार, पटना नोडल पदाधिकारी के रुप में कार्य करेंगें।

(आर० के० महाजन) 27/4/17
प्रधान सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक –13/मु0 10–06/2010 (अंश–I) 945 पटना, दिनांक 27.4.17

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रण भंडार एवं प्रकाशन, गुलजारबाग, पटना/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, पटना को सूचनार्थ कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव 27/4/17
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक –13/मु0 10–06/2010 (अंश–I) 945 पटना, दिनांक 27.4.17

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव 27/4/17
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक –13/मु0 10–06/2010 (अंश–I) 945 पटना, दिनांक 27.4.17

प्रतिलिपि :– सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव 27/4/17
शिक्षा विभाग।

फ. सं. **19-9/2018**-एन.एल.एम.-**3**
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा एवं शाक्षरता विभाग
एन.एल.एम.-**3** अनुभाग
*****

नई दिल्ली, दिनाँक: **17** सितंबर, **2018**

सेवा में,

श्री हँसराज बच्चन सुपुत्र स्व. विनोद झा,
जिला- सुपौल,
बिहार- **852218**

विषय: साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रेरकों एवं समन्वयकों के बकाया मानदेय प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया आप अपने पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय शिकायत पोर्टल पंजीकरण संख्या PMOPG/E/2018/0405266 दिनांक 25.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमे आपने साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रेरकों की विभिन्न मांगो को पूर्ण करने की प्रार्थना की है।

इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य को अनुमोदित कुल बजट राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, बिहार को पहले ही जारी कर दिया गया है जिसमें प्रेरकों और समन् वयकों के मानदेय की धनराशि भी शामिल है। इस योजना के तहत प्रेरकों एवं समन्वयकों की नियुक्तियाँ संविदा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा की गयी थी। साक्षर भारत योजना की अवधि 31.03.2018 को समाप्त हो चुकी है। इस योजना में स्थायी नियुक्तियों का कोई प्रावधान नहीं था।

भवदीय,

(राजेंद्र शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार